एमएनएच शक्ति लिमिटेड
(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

एमएनएच

11 वीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2018-19

पंजीकृत कार्यालय: आनंद विहार, डाकघर: जागृति विहार
संबलपुर, ओ़डिशा, 768020

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	कंपनी की सूचना	1
2.	सूचना	2
3.	निदेशकों का प्रतिवेदन	4
4.	सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन	13
5.	भारत के लेखानियंत्रक व महालेखाकार की टिप्पणियां	23
6.	सचिवीय लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	24
7.	वार्षिक रिटर्न का विवरण	28
8.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र	36
9.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि का विवरण	38
10.	इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण	40
11.	तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखों के अंश स्वरूप विवरणी	41
12.	लेखा नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां	92
13.	नगद प्रवाह विवरणी	102

कंपनी की सूचना

निदेशक मण्डल :

श्री ओ. पी. सिंह	अध्यक्ष	(दिनांक 30.09.2016 से प्रभावी)
श्री अशोक मछेर	निदेशक	(दिनांक 22.01.2019 से प्रभावी)
श्री आर. . विक्रमण	निदेशक	(दिनांक 09.08.2018 से प्रभावी)
श्री के. आर. वासुदेवन	निदेशक	(दिनांक 18.01.2019 से प्रभावी)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी :
श्री ए. के. सिंह

मुख्य वित्तीय अधिकारी :
श्री एन. राजशेखर

कंपनी सचिव :
श्री सुमंत कुमार बेहेरा

सांविधिक लेखा-परीक्षक :
मेसर्स एसएबीडी एवं सहयोगियों,चार्टर एकाउंटेंट,
मेन रोड, केसिंगा, कलाहांडी – 766012,ओड़िशा.

सचिवीय लेखा-परीक्षक :
एम प्रधान एवं सहयोगियों, कंपनी सचिवालय
एन4/187,आईआरसी ग्राम , नयापल्ली
भुवनेश्वर -751015

बैंकर्स :

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
एमसीएल परिसर शाखा
जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर - 768020.

यूको बैंक
जागृति विहार शाखा ,
जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर - 768020.

ऐक्सिस बैंक लिमिटेड.
आरआर मॉल, अशोका टॉकीज रोड,
वी.एस.एस. मार्ग , सम्बलपुर – 768001.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ,
बाज़ार कोलकाता के पास,गोल बाजार, सम्बलपुर - 768001

पंजीकृत कार्यालय :
आनंद विहार ,
पोस्ट ऑफिस - जागृति विहार, बुर्ला,
सम्बलपुर, ओड़िशा-768020.

दिनांक 13.06.2019

सूचना

11 वीं वार्षिक आम बैठक

एमएनएच शक्ति लिमिटेड की **11**वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्यो को पूर्ण करने के उद्देश्य से दिनांक **25** जून**, 201**9**,** मंगलवार को सुबह 11.00 बजे से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, आनंद विहार, पोस्ट- जागृति विहार, संबलपुर-768020, ओडिशा में आयोजित करने की सूचना दी जाती है।

सामान्य कार्य-

1. 31 मार्च**,** 201**9** को समाप्त वित्तीय वर्ष के तहत कंपनी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी जिसमें 31 मार्च**,** 2019 का लेखापरीक्षित तुलनपत्र**,** उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि का विवरण**,** निदेशक मण्डल**,** वैधानिक परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के रिपोर्ट को स्वीकार व पालन करने हेतु शामिल किया गया है।

2. कंपनी अधिनियम**,** 2013 की धारा 152(6) के रोटेशन टर्म के कारण सेवानिवृत्त हुये निदेशक श्री आर. विक्रमन (डीआईएन- 07601778) के स्थान पर पात्र होने के कारण उन्हे पुनः निदेशक नियुक्त किया गया है।

3. कंपनी अधिनियम**,** 2013 की धारा-139(5) के साथ धारा-142 को भी पढ़ा जाये**,** जो कि कंपनी के वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संवैधानिक लेखा परीक्षकों के नियत पारिश्रमिक को तय करने के लिए तथा संशोधन अथवा बिना संशोधन के निम्न संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु निदेशक मण्डल को प्राधिकृत करती है।

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम**,** 2013 की धारा 142 के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मण्डल को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए धारा 139(5) के अधीन नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को नियत करने हेतु एतद द्वारा नियुक्त किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड
ह/-
(एस. के. बेहरा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय-

आनंद विहार, डाकघर- जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020

टिप्पणी-

1. बैठक में भाग लेने तथा अपने मतदान हेतु पात्र सदस्य अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मतदान देने हेतु किसी को प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। इस हेतु प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं हैं। बैठक में भाग लेने हेतु अपने प्रतिनिधि भेजने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु प्रतिनिधियों को अधिकृत करने के साथ-साथ बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रति साथ में भेजें।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसरण में लघु नोटिस पर वार्षिक आम बैठक बुलाने हेतु अपनी सहमित दें।

सदस्यगण:

1. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020
   (ध्यानार्थः कंपनी सचिव, एमसीएल)
2. नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेयवेली हाउस नं.13 जे, पेरियार ईव्हीआर हाई रोड, कीलपाउक, चेन्नई-600010 (ध्यानार्थः कंपनी सचिव, एनएलसी)
3. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंचुरी भवन, तृतीय तल, डॉ. एनी बिसेंट रोड, वर्ली, मुंबई-400025 (ध्यानार्थः कंपनी सचिव-हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड)

लेखापरीक्षक:

1. मेसर्स एसएबीडी एंड एसोसियट्स**,** सनदी लेखाकार मेन रोड**,** केसिंगा कालाहांडी 766012**,** ओड़िशा
2. प्रधान निदेशक, प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य का कार्यालय, लेखा परीक्षा बोर्ड- II, ओल्ड निज़ाम पैलेस, 234/4 आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700020
3. एम. प्रधान एण्ड एसोसिएट, कंपनी सेक्रेटरीज, N4/187, आईआरसी विलेज, नयापल्ली, भुवनेश्वर- 751015.

निदेशक गण :

1. सभी निदेशकगण– एमएनएच शक्ति लिमिटेड मण्डल

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में
शेयरधारक गण
एमएनएच शक्ति लिमिटेड
प्रिय सदस्यगण,

एमएनएच शक्ति लिमिटेड की 11 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं आपकी कंपनी की 11 वीं वार्षिक रिपोर्ट, 2018-19 के लेखापरीक्षित लेखा, सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन और भारत के लेखा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत कर रहा हूं।

एमसीएल के नियंत्रण क्षेत्र में 6.5 एमटीवाई. क्षमतावाली तलाबीरा-3 खान की परियोजना रिपोर्ट को भारत सरकार ने जून, 2002 में अनुमोदित किया था। किन्तु, योजना आयोग ने परियोजना रिपोर्ट को उच्च क्षमता के साथ संशोधित करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, 6.5 एमटीवाई की परियोजना रिपोर्ट नवंबर, 2004 में वापस ले ली गई। तत्पश्चात, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रभाग आदित्य एल्यूमिनियम एवं नेवेली लिगनाईट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उनकी कैप्टिव खपत हेतु तलाबीरा-2 खान के आबंटन के अनुरोध पर कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने तलाबीरा-2 व तलाबीरा-3 की खानें संयुक्त रूप से महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, नेवेली लिगनाईट कॉर्पोरेशन और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आबंटित करने का निर्णय लिया। केन्द्र सरकार ने ये खानें संयुक्त रूप से एमसीएल, एनएलसी और एचआईएल को 10 नवंबर, 2005 को आबंटित की। केन्द्र सरकार ने कोयले संरक्षण और प्रौद्योगिकी का अधिकतम नियोजन सुनिश्चित करने के लिए तलाबीरा-2 और तलाबीरा-3 कोयला ब्लॉकों को 20 मी.टन क्षमता और 23 मी.टन. की अधिकतम क्षमता सहित तलाबीरा ओसीपी नामक खान बनाकर, एक तरफ एमसीएल और दूसरी तरफ एनएलसी व एचआईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन का निर्णय लिया। संयुक्त उद्यमी कंपनी में एमसीएल की इक्विटी 70% होगी जबकि शेष 30% इक्विटी मेसर्स नेयवली लिग्नाईट कार्पोरेशन एवं मेसर्स हिंडाल्को की अर्थात प्रत्येक की 15% होगी। तदनुसार, एमएनएच शक्ति लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी, 16 जुलाई, 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित और पंजीकृत की गई।

तालाबीरा ओसीपी (20 मी.टन) की परियोजना रिपोर्ट एमसीएल बोर्ड (एक मिनी रत्न कंपनी) ने दिनांक-29.03.2008 को हुई अपनी 94वीं बैठक में कोयला एवं ओवरबर्डन के लिए आउटसोर्सिंग हिस्सों, दोनों के लिए रूपए 447.72 करोड़ की आरंभिक पूंजी लागत के साथ अनुमोदित हुई तथा एमएनएच शक्ति बोर्ड ने अपनी 15 जुलाई, 2010 को हुई सातवीं बैठक में इसका अनुमोदन किया।

परियोजना में 994.5 हेक्टेयर कोयला धारित क्षेत्र है जो एफ1-एफ1 पश्चिम में गैर कोयला क्षेत्र से सीमाबद्ध है। पूर्वी सीमा को भू-गर्भीय ब्लॉक सीमा/गैर-कोयला क्षेत्र से चिह्नित किया गया है। उत्तरी सीमा को ईब नदी से चिह्नित किया गया है और दक्षिण में तलाबीरा-। खान की साझी सीमा है, जिसका संचालन हिंडाल्को कर रहा है।

इस ब्लॉक का खनन योग्य भंडार 553.98 मी.टन. (ईब सीम व रामपुर सीम में) है। खान स्टीपिंग अनुपात 1:1.09 में कार्य करेगी। अधिकांश कोयला जी-11 एवं जी-17 श्रेणी के हैं जो थर्मल पावर के लिए उपयुक्त है। खान की अधिकतम क्षमता 20 एमटीवाई और आयु 34 वर्ष है ।

भू-अधिग्रहण की स्थिति-

तलाबीरा-।।। कोल ब्लॉक के लिए - कोल ब्लॉक के संयुक्त आबंटन से पूर्व सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम के अंतर्गत 1530.170 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण एमसीएल के ईब वैली क्षेत्र द्वारा किया गया और दिनांक 03.12.2005 के अधिसूचना U/S11(1) का अवलोकन करते हुए एमसीएल में निहित किया गया।

तत्पश्चात, तलाबीरा-II कोयला ब्लॉक के लिए 383.893 हैक्टेयर भूमि का सीबीए अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया और दिनांक 26.02.2011 के अधिसूचना U/S 11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना द्वारा एमसीएल में निहित किया गया।

इस परियोजना के लिए कुल 1914.063 हेक्टेयर (पुनर्वास व रहवास के लिए आवश्यक भूमि को छोड़कर) भूमि का अधिग्रहण किया गया और इसमें झारसुगुड़ा जिला के रामपुर, मालदा एवं पतरापाली गांव तथा संबलपुर जिला के तलाबीरा एवं खिंडा गांव शामिल हैं। अधिग्रहित भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

काश्तकारी भूमि	451.829 हेक्टेयर
गैर-वन सरकारी भूमि	424.047 हेक्टेयर
राजस्व वन भूमि	578.005 हेक्टेयर
मानित वन भूमि	460.182 हेक्टेयर
कुल	1914.063 हेक्टेयर

<u>सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण</u> :

ओड़िशा की आर एंड आर नीति 2006 के अनुसार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण और सामाजिक सांस्कृतिक संसाधन मैपिंग एवं आधारसूत्र संरचना सर्वेक्षण किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाना है। तदनुसार, ओड़िशा सरकार ने तलाबीरा (।। व ।।।) परियोजना में मेसर्स एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सोसाइटी, भुवनेश्वर द्वारा उपरोक्त सर्वेक्षण किए जाने हेतु आरडीसी, संबलपुर की अनुशंसा को अनुमोदित कर दिया है। एमएनएच शक्ति लिमिटेड के बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् मेसर्स ए.आर.डी.सी.ओ.एस., भुवनेश्वर को कार्यादेश दे दिया गया है।

एजेंसी ने सभी ग्रामों से आंकड़े संग्रहण करने का कार्य पूर्ण कर लिया है। एजेंसी द्वारा प्रस्तुत मसौदा रिपोर्ट में कुछ विसंगतियों की और रिपोर्ट को आशोधित करने के लिए कहा गया। एजेंसी ने रिपोर्ट को अंतिम रुप देने के लिए जिला प्रशासन सहित ग्रामीणों से आपतियां, यदि कोई हो, आमंत्रित करना शुरु कर दिया है। मेसर्ज ए.आर.डी.सी.ओ.एस. ने अधिग्रहिस क्षेत्र पर सर्वेक्षण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट आगामी कार्रवाई हेतु भूमि अधिग्रहण अधिकारी, संबलपुर को 04.03.2014 को प्रस्तुत कर दी है।

<u>पुनर्वास स्थल :</u>

मालदा और पतरापली के विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास स्थल हेतु हिरमा ग्राम की 94.32 एकड़ सरकारी गैर-सरकारी भूमि के निपटान के लिए तहसीलदार, झारसुगुड़ा को पट्टा आवेदन दे दिया गया है। विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास स्थल हेतु ग्राम दंतामुरा की 27.00 एकड़ सरकारी(गैर-वन) भूमि तथा खिंडा ग्राम के लिए 57.65 एकड़ सरकारी(गैर-वन) भूमि के निपटान हेतु तहसीलदार, रेंगाली को पट्टा आवेदन दिया गया है।

<u>वन पथांतरण की स्थितिः</u>

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सम्बलपुर को डीएफ़ओ(एन) द्वारा दिनांक-14.08.2013 को वन पथांतरण प्रस्ताव अग्रेषित किया गया। दिनांक 24.01.2014 को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सम्बलपुर ने पथांतरण के लिए प्रस्तावित वन क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा दिनांक-01.02.2014 को संयुक्त पीसीसीएफ़, भुवनेश्वर के समक्ष प्रस्ताव की अनुशंसा की। जांच के उपरांत पीसीसीएफ़, भुवनेश्वर ने दिनांक 22.03.2014 को प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, ओड़ीशा सरकार, भुवनेश्वर के समक्ष अपने प्रस्ताव को अग्रेषित किया है।

<u>पर्यावरण मंजूरी की स्थितिः</u>

सीबीआई के जांच परिणाम और कुछ विशिष्ट शर्तों के साथ भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार नई दिल्ली में दिनांक-28.06.2014 को ईएसी की 15वीं बैठक आयोजित हुई जिसमें ईएसी ने तलाबीरा-II एवं III ओसीपी के लिए पर्यावरण निकासी की अनुशंसा की है।

1. जल रिसाव या भू-क्षरण को रोकने के लिए जलाशय के तटबंध के ऊपर घास लगाने और वृक्षारोपण के साथ-साथ पत्थर डालकर भू-समतलीकरण किया जाता है।
2. प्रस्तावक जल विज्ञान अध्ययन और बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के अनुमोदन के आधार पर बाढ़ तटबंध तैयार किया जाता हैं।
3. खान क्षेत्र से अंतिम उपयोगकर्ता तक कोयला के सड़क परिवहन हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया गया।
4. वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार की जाती है और वन्यजीव संरक्षण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। वन्यजीव बोर्ड के सिफारिशों को लागू भी किया जाता है।
5. डंपर का अवागमन सिर्फ भीतरी क्षेत्र तक सीमित होगा। फिर भी यांत्रिक रूप से ढके ट्रकों को तीन वर्ष के लिए लगभग 12 किलोमीटर तक की दूरी के लिए अन्तरिम परिवहन की इजाजत प्राप्त है।

रेलवे साइडिंगः

रेल द्वारा 20 मिलियन टन कोयले के प्रतिवर्ष प्रेषण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने हेतु मेसर्स राईट्स को कार्यादेश जारी किया गया। मेसर्स राईट्स ने दिनांक 28.08.2012 को लपांगा स्टेशन को अपने संरक्षण में लेने हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मेसर्स राइट्स ने कोडल प्रभार में 1% वृद्धि के साथ 2.56 करोड़ (256 करोड़ की अनुमानित विस्तृत कार्यक्रम प्रतिवेदन) अग्रिम के रूप में पूर्व तट रेलवे को जमा की जाने की मांग की है या प्रस्ताव तकनीकी जांच के अधीन रखा है। दिनांक-07.09.2013 को 2.27 करोड़ का कोडल प्रभार पूर्व तट रेलवे को जमा किया गया। आर.टी.सी. ने इसे दिनांक 24.03.2014 को रेलवे बोर्ड को आगामी कार्रवाई हेतु भेजा।

वर्तमान स्थिति

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 सितंबर 2014 को भारत सरकार के गोपन समिति की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किए गए कोयला ब्लॉक के आवंटन पर एक फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार सरकारी व्यवस्था द्वारा आबंटन मनमाना और गैर-कानूनी है। निजी संस्था या सरकारी कंपनी जिनका निजी संस्था के साथ संयुक्त उद्यम है को आवंटित कोल ब्लॉक को 1993 से प्रभावी रूप से रद्द कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर तलाबीरा- II एवं III के कोयला ब्लॉक को दिनांक-24.09.2014 के तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है।

कोयला खनन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधान के अनुसार नामित प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र संख्या-103/1/2016/एनए, दिनांक-17.02.2016 के तहत नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड को तालबीरा ॥ एवं ॥। के कोयला खान के आवंटन से संबन्धित निर्णय का सम्प्रेषण किया गया और पूर्व आवंटी से देय मुआवजा राशि के मूल्यांकन हेतु निर्धारित प्रारूप के अंतर्गत खास जानकारी मांगी गई एवं दिनांक 29.02.2016 को पूर्व आवंटी यानि एमएनएच शक्ति लिमिटेड द्वारा ई-मेल के माध्यम से उसे प्रेषित किया गया।

कंपनी नामित प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय के माध्यम से भूमि अधिग्रहण, प्रगतिशील कार्यों में लगी पूंजी और अमूर्त परिसंपत्ति में खर्च किये गए राशि के लिए नए आवंटी से मुआवजा प्राप्त करने का हकदार रखती है। कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा मुआवजा का निर्धारण किया जा रहा है।

नामित प्राधिकारी के कार्यालय से पूर्व आवंटी के पत्रांक-110/13/2015/एनए, दिनांक-12.09.2016 के अनुसार भुगतान आयुक्त, कोयला नियंत्रक कार्यालय (सीसीओ), कोलकाता की सहमति से भौगौलिक रिपोर्ट की लागत एवं मुआवजा की अग्र संवितरण राशि अंतरित की गई है। इसमें तलाबीरा ॥ एवं ॥। कोयला खदान की मुआवजा राशि 15,88,94,332 का अंतरण दिनांक-04.01.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम से किया गया।

पुन: नामित प्राधिकारी के कार्यालय से पूर्व आवंटी के दिनांक-01.12.2016 के पत्रांक 110/9/2015/एनए(भाग-॥) के तहत भुगतान आयुक्त अर्थात कोयला नियंत्रक कार्यालय (सीसीओ), कोलकाता की सहमति से खदान आधारभूत संरचना की लागत की मुआवजा को अग्र संवितरण राशि में अंतरित किया गया। इसमें सिर्फ तलाबीरा ॥ एवं ॥। के

कोयला खदान की मुआवजा राशि-2,66,56,000 रुपये (2 करोड़ 66 लाख 56 हजार रुपये) शामिल है। तदोपरांत कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दिनांक-08.02.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम से मुआवजा राशि का अंतरण किया है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्चः

उपरोक्त मामलों पर कोई जानकारी देना आवश्यक नहीं हैं क्योंकि कंपनी का निगमन 2008-09 में हुआ है और इस प्रकार की कोई गतिविधि शुरू नहीं हुई है।

जोखिम प्रबंधन

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी ने विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन एवं नियंत्रण हेतु पारम्परिक, आंतरिक एवं बाहरी जोखिमों पर आवश्यक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किए है, भू-अधिग्रहण, वन अनुमति एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं कुछ महत्वपूर्ण कारक है जिन पर प्रबंधन द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है।

संबंधित पार्टी लेन-देन

सभी संबंधित पार्टी लेन-देन जो वित्तीय वर्ष के दौरान आर्मस लेंथ आधार पर प्रवेश किये थे तथा सामान्य व्यापर में शामिल किये गये थे कंपनी द्वारा प्रोमोटरों मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या पर्दे के साथ मेटेरियल सिग्निफिकेंस संबंधी पार्टी लेन-देन नहीं किया जाता है।

ऋण गारंटी और निवेशों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) और (11) तथा कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2015 को जारी स्पष्टीकरण के तहत् वित्तीय विवरणी में किये गये निवेश, दिये गए ऋण या ऋण की गारंटी या उपलब्ध कराये गये प्रतिभूति और जिस हेतु ऋण या गारंटी या प्रतिभूति पस्तावित है को लोन या गारंटी प्राप्त कर उसका खुलासा करें।

निगरानी तंत्र / विशेल ब्लोअर नीति

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी की सारी गतिविधियों सी एंड ए.जी. सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुले है।

नामांकन समिति

कंपनी ने नामांकन समिति का गठन अभी तक नहीं किया है।

कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी ने वर्ष के दौरान विकास की स्थिति में सी.एस.आर. गतिविधियों की दिशा में कोई व्यय नहीं किया है।

पूंजी संरचनाः - कंपनी का दिनांक 31.03.2019 को इक्विटी शेयर पूंजी रूपए 10,000.00 लाख है और जारी तथा सब्सक्राइब्ड इक्विटी पूंजी रु. 8510.00 लाख है, जिसे कंपनी के शेयरधारकों ने अंशदान स्वरूप दी है, जिसका विवरण निम्नलिखित हैं :-

(रु.लाख में)

शेयरधारकों के नाम	राशि
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	5957.00
नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड	1276.50
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1276.50

वित्तीय समीक्षाः

कंपनी की तलाबीरा-।। एवं ।।। खानें विकासाधीन हैं। कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार इस अवधि में हुए सभी खर्च को पूंजीकृत किया गया है, अत: आलोच्य अवधि का लाभ-हानि लेखा के वर्ष 2018-19 वित्तीय वर्ष के अंत में शून्य दर्शाता हैा लेखा के मुख्य वित्तीय आंकड़े निम्नानुसार हैं-

31 मार्च, 2019 के अनुसार तुलनपत्र मद

(रु.लाख में)

क्र.संख्या	विवरण	31 मार्च,2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
1	अधिकृत शेयर पूंजी	10000.00	10000.00
2	प्रदत्त शेयर पूंजी	8510.00	8510.00
3	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2060.16	2139.41
4	पूंजीगत कार्य में वृद्धि	10.18	252.67
5	अन्वेषित तथा मूल्यांकित संपत्ति	0.00	0.00
6	नगद तथा नगद के समकक्ष (जमा सहित)	5900.83	5584.87
7	अन्य मौजूदा परिसंपत्ति (वित्तीय परिसंपत्ति सहित)	524.47	488.83
8	अन्य चालू देनदारियां	11.50	7.93
9	प्रारंभिक व्यय	52.15	52.15

<u>आय और व्यय सीधे तुलनपत्र को हस्तांतरित</u>
(पूंजी कार्य की प्रगति नोट-4)

(रु.लाख में)

क्र.	राजस्व व्यय का तुलन पत्र में हस्तांतरण	वर्तमान वर्ष 2018-19	गत वर्ष 2017-18
1	कर्मचारियों का वेतन व मजदूरी	27.40	5.38
2	मरम्मत खर्च	0.00	0.05
3	बी.जी/अन्य के लिए बैंक प्रभार	0.02	0.01
4	वाहन किराया व्यय	0.59	3.93
5	बैठक खर्च	0.06	0.23
6	लेखा परीक्षा शुल्क	1.88	1.49
7	यात्रा खर्च एवं स्थानांतरण यात्रा भत्ता	0.28	2.34
8	बिल्डिंग का किराया	2.40	2.40
9	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.42	1.04
10	प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी	0.47	0.43
11	एमसीएल से ऋण के लिए ब्याज	0.47	4.75

12	अन्य व्यय	0.76	1.02
13	मूल्यह्रास	79.25	79.25
14	**कुल व्यय**	**114.00**	**102.32**
15	**कमः फिक्स्ड डिपॉजिट तथा अन्य पर ब्याज आय**	**356.49**	**287.18**
16	**कुल व्यय के तुलन पत्र पर स्थानांतरण**	**-242.49**	**-184.86**

लेखापरीक्षक:

कंपनी अधिनियिम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत निम्नलिखित लेखापरीक्षा फर्म को वर्ष 2018-19 के लेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया-

मेसर्स एस.ए.बी.डी एंड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
मेन रोड, कसिंगा
कलाहांडी-766012
ओड़िशा

कंपनी अधिनियिम, 2013 की धारा-204 के अंतर्गत निम्नलिखित फर्म को वर्ष 2018-19 के सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

एम प्रधान एण्ड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवालय

N4/187, आईआरसी विलेज, नयापल्ली

भुवनेश्वर -751015

निदेशक मंडल
निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट की अवधि में कंपनी के निदेशक थेः

श्री ओ. पी. सिंह	अध्यक्ष	(30.09.2016 से प्रभावी)
श्री अशोक मछेर	निदेशक	(22.01.2019 से प्रभावी)
श्री आर. विक्रमण	निदेशक	(09.08.2018 से प्रभावी)
श्री के. आर. वासुदेवन	निदेशक	(18.01.2019 से प्रभावी)
श्री एस. अशरफ	निदेशक	(13.03.2019 तक)
श्री बी. पी. मिश्रा	निदेशक	(22.01.2019 तक)
श्री सुबीर दास	निदेशक	(09.08.2018 तक)
श्री एल.एन. मिश्रा	निदेशक	(18.01.2019 तक)
श्री जे. पी. सिंह	निदेशक	(13.03.2019 तक)

16. बोर्ड की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गई थी। बोर्ड की बैठक का विवरण अवधियों के साथ नीचे दी जा रही है।

बैठक संख्या	बैठक की तिथि	बैठक आयोजन स्थल
44 वां	27.04.2018	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
45 वां	06.08.2018	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
46 वां	29.11.2018	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
47 वां	30.03.2019	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर

निदेशको की व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ बोर्ड की संरचना का विवरण:-

निदेशकों के नाम	श्रेणी	बोर्ड बैठक	
		अवधि में हुई बैठक	उपस्थिति
श्री ओ. पी. सिंह	नॉन-एक्जेक्यूटिव	4	4
श्री एस. अशरफ	सरकारी उम्मीदवार	3	0
श्री बी. पी. मिश्रा	नॉन-एक्जेक्यूटिव	3	0
श्री सुबीर दास	नॉन-एक्जेक्यूटिव	2	0
श्री एल.एन. मिश्रा	नॉन-एक्जेक्यूटिव	3	3
श्री जे. पी. सिंह	नॉन-एक्जेक्यूटिव	3	3
श्री अशोक मछेर	नॉन-एक्जेक्यूटिव	1	1
श्री आर. विक्रमण	नॉन-एक्जेक्यूटिव	2	2
श्री के. आर. वासुदेवन	नॉन-एक्जेक्यूटिव	1	0

<u>निदेशकों का दायित्वपूर्ण विवरण</u>

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के आवश्यकतानुसार माननीय सभी निदेशकों के दायित्वपूर्ण वक्तव्यों की पुष्टि -

1. 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सामग्री निर्गत संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों (लेखा टिप्पणियों के खुलासे के अलावा) का अनुसरण किया गया है।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि का सही तथा उचित जानकारी दी जा सके।
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा रोकथाम करने हेतु इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

4. निदेशकों ने 31.3.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्रियाशील कारोबार 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर खातों को तैयार किया है।
5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह के प्रणाली पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही थी।

कर्मचारियों का ब्यौराः

कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में नियमावली 2014 के तहत् आवश्यक जानकारी कंपनी के अनुभाग 197 के साथ नियम 5 को भी (नियुक्ति तथा प्रबंधकीय कर्मचारियों का वेतन) पढ़े जाने के अनुरोध पर प्रदान की जायेगी। अधिनियम की धारा-136 के तहत् कर्मचारियों से संबंधित सूचना को छोड़कर कंपनी के सदस्यों तथा अन्य हकदारों की रिपोर्ट तथा खातों से संबंधित जानकारी भेजी जा रही है, उपलब्ध विवरणों का निरीक्षण वार्षिक आम बैठक की आगामी तिथि निर्धारित करने हेतु कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के सदस्यों द्वारा किया जायेगा। यदि कोई सदस्य इसकी जांच करना चाहता हे तो वह सदस्य कंपनी सचिव को अग्रिम में लिखे।

बैंकों के नाम एवं पतेः-

क्रं.सं.	**नाम**	**शाखा का पता**
1.	भारतीय स्टेट बैंक	एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, पिन-768020
2.	यूको बैंक	जागृति विहार शाखा (कोड 1890) जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, पिन-768020
3.	एक्सिस बैंक लिमिटेड	आर.आर.मॉल, अशोका टॉकीज रोड, वी.एस.एस.मार्ग, संबलपुर, ओड़िशा, पिन-768001
4.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	कोलकाता बाजार के बगल में, गोल बाजार, संबलपुर-768001

भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार की टिप्पणी

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार की टिप्पणी संलग्नित है।

लेखापरीक्षक/सचिवीय लेखा परीक्षा की रिपोर्टः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत् प्रासंगिक टिप्पणियों के साथ अवलोकित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाये जो कि आत्म व्याख्या तक है, स्वतः स्पष्ट है अतः इस पर आगे किसी भी तरह की टिप्पणी न की जाये। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) की आवश्यकता के अनुसार कंपनी सचिवीय लेखा परीक्षा की प्राप्त रिपोर्ट संलग्नित है।

वार्षिक रिटर्न का सार

फॉर्म एमजीटी -9 के रूप में वार्षिक रिपोर्ट के का हिस्सा बनाने की विस्तार से व्याख्या की गई है, जिसे इसके साथ संलग्न किया गया है।

अभिस्वीकृतिः-

आपके निदेशकगण कंपनी के विकास के लिए एमसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए अपने बहुमूल्य सुझाव के लिए आभारी हैं।

आपके निदेशकगण कंपनी के विकास के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर दी गई सहायता एवं सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण लेखा परीक्षकों, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-II, कोलकाता के अधिकारी एवं स्टाफ, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय आदेश एवं कंपनी पंजीयक, ओडिशा द्वारा दी गई सेवाओ के लिए उनकी सराहना करते हैं।

परिशिष्ट

निम्नलिखित कागजात संलग्न है

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त किये गये सांवधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट। (परिशिष्ट-I)

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत नियुक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की रिपोर्ट (परिशिष्ट-II)
3. सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट। (परिशिष्ट-III)
4. वार्षिक रिटर्न का सार। (परिशिष्ट-IV)

ह/-

Date: 13.06.2018 **(ओ. पी. सिंह)**

Place: **सम्बलपुर** **डीआईएन - 07627471**

अध्यक्ष, एमएनएच शक्ति लिमिटेड

. वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
एमएनएच शक्ति लिमिटेड के सदस्य

भारतीय मानक लेखांकन वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने एमएनएच शक्ति लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय मानक लेखांकन वित्तीय विवरण के साथ ऑडिट किया है, जो दिनांक 31/03/2019 के अनुसार तैयार बैलेंस शीट शामिल हैं, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और संबंधित समाप्त वर्ष के लिए इक्विटि बदलाव विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य विवरणात्मक जानकारी(इसके बाद भारतीय मानक लेखांकन वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाय)

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी इन भारतीय मानक लेखांकन वित्तीय विवरणों तैयारी के संबंध में अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय लेखा मानक (Ind AS) सहित भारत में समान्य तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ-साथ कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत कंपनी की अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह और कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन सहित वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान है,
इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं , जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और तथ्यात्मक गलत रिपोर्ट जो चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त होते हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन भारतीय मानक लेखांकन वित्तीय विवरणों पर एक विचार व्यक्त करना है।

हम लोगों अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और ऑडिटिंग मानकों और उसमें शामिल ऐसे ममलें जो अधिनियम और नियम के तहत अधिनियम और प्रावधानों के तहत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किए जाना आवश्यक है को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत लेखा परीक्षा पर निर्दिष्ट मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों में आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का पालन करें और इस बारे में कि क्या भारतीय मानक लेखांकन वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलत रिपोर्ट से मुक्त हैं के उचित आश्वासन प्राप्त करने के

लिए ऑडिट करें। ऑडिट में भारतीय मानक लेखांकन वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की क्रियाशील प्रक्रियाएं शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गलत रिपोर्ट के जोखिम-आकलन ,चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के सहित ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं। उन जोखिमों का आकलन करने के लिए, ऑडिटर भारतीय मानक लेखांकन वित्तीय विवरणों के कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं जो ऑडिट प्रक्रियाओं को निर्माण करने के लिए एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो। ऑडिट में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन के साथ-साथ, प्रयोग में लाई जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों के लेखांकन अनुमानों की तर्कशीलता में शामिल होती है

हम मानते हैं कि हम लोगों ने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट मान्यता को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मान्यता

हमारी मान्यता और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक तरीके जानकारी प्रदान करते हैं और 31 मार्च, 2019 के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति के भारतीय लेखांकन मानक सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह और इक्विटी में होने वाले परिवर्तनों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

(i) भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के उप खंड (11) के संदर्भ में आवश्यक कंपनियों (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("ऑर्डर") के अनुसार, हम अनुलग्नक-ए, लागू सीमा तक आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रदान करते हैं।

(ii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट पर सुझाई गई कार्यप्रणाली के अनुपालन के उपरांत जारी निदेशों पर एक विवरण और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव और उस पर कृत कार्रवाई को हम इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक - ख** में प्रदान करते हैं।

(ii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के ऑडिट के लिए ऑडिट पर सुझाई गई कार्यप्रणाली के अनुपालन के उपरांत जारी अतिरिक्त-निदेशों पर एक विवरण और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव और उस पर कृत कार्रवाई को हम इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक - ग** में प्रदान करते हैं।

अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम निम्न रिपोर्ट प्रदान करते हैं:

(क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों का मांग किया और प्राप्त किया, जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारी जानकारी और विश्वास में सर्वोत्तम थे।

(ख) हमारे विचार में,कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता-बहियों को अब तक कंपनी द्वारा रखे गए हैं जैसा कि उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) खाता-बहियों के साथ अनुबंधों में तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण को इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।

(घ) हमारे विचार में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ड.) 31 मार्च, 2019 के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा अभिग्रहीत अभिलेख पर निदेशकों से प्राप्त किए गए लिखित प्रस्तुतीकरण के आधार पर, अधिनियम की धारा 164 (2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2019 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में एक अलग रिपोर्ट संलग्न है। (अनुलग्नक - डी)

(छ) हमारे विचार और हमारे सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, अन्य मामलों के संबंध में ऑडिटर की रिपोर्ट में निम्न को शामिल किया जाए:

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रदर्शित किया है।

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं की है जिससे किसी भी तरह की दूरगामी भौतिक हानि हो ।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में राशि स्थानांतरित किया जाना आवश्यक नहीं है। इसलिए उसमें देरी का सवाल ही नहीं उठता।

दी गई तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
मैसर्स एसएबीडी एंड एसोसियेटस के लिए और की ओर से
सनदी लेखाकार

दिनांक: **ह/-**
स्थान: संबलपुर **(सीए बी. के. गोयल)**
साझेदार
(सदस्यता सं. 505314)
फ़र्म पंजीयन सं.-020830N

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक

(उस तारीख की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत अनुच्छेद 1 को देखें)

i) अचल संपति के संदर्भ में: कंपनी ने उपलब्ध जानकारी के आधार पर मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुये उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

जैसा कि हमें बताया गया है,कंपनी की अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से किया गया है जो हमारी विचार में कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति के अनुसार में उचित है ।

अचल संपत्तियों के हक़ विलेख कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं।

ii) वस्तु-सूची के संदर्भ में:

वर्ष के दौरान कंपनी के पास भंडार, पुर्जों और कच्चे माल का कोई भंडार नहीं है। इसलिए इस वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इसका भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

iii) कंपनी अधिनियम - 2013 की धारा 189 के तहत शामिल पार्टियों को ऋण और अग्रिम:

कंपनी अधिनियम - 2013 की धारा 189 के तहत पार्टियों को कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया गया है, इसलिए:

(ए) लागू नहीं
(b) लागू नहीं है
(c) लागू नहीं है

IV) ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा:

कंपनी ने कोई ऋण या निवेश / गारंटी / गारंटी/प्रतिभूति नहीं प्रदान की है । अतः इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है या नहीं, इसका सवाल ही नहीं उठता।

v) जनता से जमा स्वीकार करना:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

vi) कंपनी अधिनियम - 2013 की धारा 148 के तहत लागत रिकॉर्ड का रख-रखाव : लागू नहीं।

vii) वैधानिक बकाया के संबंध में:

क) चूंकि कंपनी के पास एमसीएल से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर कोई प्रत्यक्ष कर्मचारी नियुक्त नहीं है, वर्ष के दौरान भविष्य निधि बकाया की कटौती और जमा लागू नहीं होता है। इसके अलावा कंपनी ने वर्ष के दौरान उत्पादन और बिक्री शुरू नहीं की है, सरकार को कोई वैधानिक बकाया देय नहीं है।

ख) कंपनी अपने सभी राजस्व आय और व्यय को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के तहत पूंजीकरण कर रही है,चूंकि इसने अपने व्यावसायिक उत्पादन शुरु नहीं की है।इसलिए बैंकों के साथ एफडीआर पर अर्जित ब्याज भी पूंजीकृत है।हालांकि आयकर विभाग इसे राजस्व आय के रूप में मान रही है और इस प्रकार यह मामला आयकर विभाग के अपीलीय प्राधिकार के समक्ष लंबित है।

viii) बैंक व वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की अदायगी में चूक:

कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थानों या बैंकों से किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया है**,** इसलिए यह खंड लागू नहीं है

ix) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधनों सहित) एवं सावधि ऋण के माध्यम से प्रस्तुत किए गए धनराशि को उन ही उद्देश्यों के लिए लागू किया गया था, जो प्रस्तुत किए गए थे।

कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधनों सहित) एवं सावधि ऋण का कोई भी पैसा नहीं बढ़ाया है**,** इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

x) वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग (प्रकृति और राशि):

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार**,** वर्ष के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी सूचित व रिपोर्ट नहीं की गई है।

xi) प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

xii) कंपनी से संबंधित निधि प्रावधान:

लागू नहीं।

xiii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में संबंधित पार्टी लेन-देन:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

xiv) शेयरों का अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानन या वर्ष के दौरान पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र :

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी ने शेयरों का कोई भी अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानन या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र नहीं बनाया है।

xv) निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन:

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबन्धित व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के गैर-नकद लेन-देन में प्रवेश नहीं किया है।

xvi) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 **की धारा** 45-**आईए के तहत पंजीकरण:**

लागू नहीं।

दिनांक : 25.04.2019
स्थान:सम्बलपुर

एसएबीडी एवं एसोसियेट्स के लिए
(सनदी लेखाकार)
पंजीकरण संख्या:020830 एन

हा-
सीए बी. के गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 505314

अनुलग्नक –ख

कंपनी अ.धनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट।

कंपनी : ***एमएनएच शक्ति लिमिटेड***
आनंद विहार, बुर्ला, सम्बलपुर

वित्तीय वर्ष : **2018 – 19**

क्र. सं	**जारी निर्देश**	**वैधानिक लेखा परीक्षक का उत्तर**
1.	क्या कंपनी के पास आई.टी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कोई व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, वर्णित किया जाए।	कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए किसी भी प्रकार की आई.टी प्रणाली नहीं है।
2.	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण या छूट पत्र के मामले में / कर्ज की अदायगी/ ऋण/ ब्याज आदि का पुनर्गठन किया गया है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को वर्णित किया जाए।	हमें दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष के लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण या ऋण चुकाने / ऋण / ब्याज आदि का पुनर्गठन जैसा कोई मामला नहीं था।
3.	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य प्राप्ति की गई थी या उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उचित उपयोग किया गया था? अंतर के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी को केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए उपयोगीकरण का सवाल ही नहीं उठता।

दिनांक : ***25.04.2019***
स्थान :सम्बलपुर

एसएबीडी एवं सहयोगी के अनुसार
(सनदी लेखाकार)
पंजीकरण संख्या : 020830एन
ह/-
सीए बी. के. गोयल
सहभागी
सदस्यता संख्या : 505314

अनुलग्नक–ग

वर्ष 2018-2019 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के लेखा परीक्षा हेतु नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त दिशा-निर्देशों की रिपोर्ट।

कंपनी : ***एमएनएच शक्ति लिमिटेड***
आनंद विहार, बुर्ला, सम्बलपुर

वित्तीय वर्ष : **2018 – 19**

क्र.सं	**जारी निर्देश**	**वैधानिक लेखा परीक्षक का उत्तर**
1.	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय/ विभाजन/ पुनःसंरचना के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन अभ्यास किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किसी क्षेत्र का विलय / विभाजन / पुनःसंरचना नहीं हुआ है।

दिनांक: ***25.04.2019***
स्थान :सम्बलपुर

एसएबीडी एवं सहयोगी के अनुसार
(सनदी लेखाकार)
पंजीकरण संख्या : 020830एन
हा/-
सीए बी. के. गोयल
सहभागी
सदस्यता संख्या : 505314

अनुलग्नक - घ

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31मार्च 2019 तक एनएमएच शक्ति लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया जो उक्त समाप्त तारीख में कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को हमारे ऑडिट के साथ संयोजन से किया गया था।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी प्रबंधन का यह उत्तरदायित्व है कि वे इंस्च्युट ऑफ चार्टेट एकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्त संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर दिए गए वित्तीय नोट के अनुरुप कंपनी के लिये जरुरी नीति निर्धारण तथ्यों को ध्यान में रखते हुये इन किये गये ऑडिट का रख-रखाव सुनिश्चित करें। इन उत्तरदायित्वों में इसका प्रारुप, कार्यान्वयन और रख-रखाव मुख्य है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रभावशाली निष्पादन को सटीक रुप से नियमो को ध्यान में रखते हुये सुनिश्चित करना होता है जिससे कंपनी के किसी प्रकार के कदाचार, पर अंकुश लगाते हुये समय पर कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानो के समुचित निष्पादन को सुनिश्चित किया जाना संभव हो सके।

लेखा पर.. कों की जिम्मेदारी

हमारा उत्तरदायित्व है कि कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नोट के आधार पर लेखा परीक्षा करते हुये अपना विचार प्रस्तुत करें। हमारा लेखा परीक्षा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का वित्तीय रिपोर्ट (मार्गदर्शित नोट) के मार्गदर्शन के अनुसार किया जाता है जो कि आईसीएआई द्वारा जारी कंपनी अधिनियम 2013 के के खंड 143(10) के अंतर्गत सुझाये गये मापदंडों के अनुरुप होता है जिसे प्रभावी रुप से स्थापित ओर अनुपालित किया जाता है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट से हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करते हैं और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं कि क्या वित्तीय पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखें गए है और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में मानक प्रक्रिया के अनुरुप तथ्योत्मक साक्ष्य को दर्शाते हुये वित्तीय रिपोर्ट से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया को प्रभावी रुप से निष्पादन करना होता है। इस वित्तीय आंतरिक नियंत्रण के रिपोर्टों में मान्य आंतरिक वित्त नियंत्रण को प्राप्त करते हुये इसके रिस्क को ईंगित करना तथा सामग्रियों के आकार, जांच, मूल्यांकन तथा इसके प्रभाव को दृष्टिगत कराना भी है। इस प्रक्रिया में लेखा परीक्षा का निर्णय का चयन किया जाता है जिससे होनेवाले किसी तरह के कदाचार या त्रृटि और वितीय अनिमियतता पर अंकुश लगाया जा सके।

इस तरह लेखा परीक्षा साक्ष्य से कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का पर्याप्त और उपयुक्त लाभ मिलता है।

वित्तीय प्रतिवेदन में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

वित्तीय प्रतिवेदन, कंपनी कि आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय प्रतिवेदन के आधार पर तथ्यात्मक रुप से वित्तीय विवरणों को मानक रुप से बाह्य उद्देश्यों की सुमपुष्टि कर स्वीकार्य सिद्धांत को प्रस्फुटित करती है। इन वित्तीय प्रतिवेदनों पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन सिद्दांतों और प्रक्रियाओं का समावेश है जिसमें (1) कंपनी के संपदाओ का विस्तारण, निष्पादन का सटीक, स्पष्ट और तर्कसंगत रिकार्डों को रख-रखाव करना होता है (2). सटीक विस्तारण का रिकार्ड को इस तरह रखना और उपलब्ध कराना है जिससे कि सामान्य स्वीकार्य लेखाकृत सिद्धांतो के अनुरुप वित्तीय विवरण को तैयार किया जा सके तथा कंपनी के प्राधिकृत निदेशको तथा प्रबंधन की पावतियों और खर्चों को एक साथ दर्शाया जा सकें तथा (3). अनाधिकृत अधिग्रहण, व्यवहार, या कंपनी का निष्पादित संपदा को समय पर रख-रखाव कर सके ताकि वित्तीय विवरण को तैयार करने में यह प्रभावकारी भूमिका निभा सकें।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रण पर संभावित मिश्रण या अव्यवहारित प्रबंधन, सामग्रियों के गलत या कदाचार से उत्पन्न गलतियों को जिसे पहचान पाने में असुविधा होती है, उसे निष्पादित कर पाना संभव हो पाता है साथ ही वित्तीय प्रतिवेदन वित्तीय नियंत्रण का किसी प्रकार का भी त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन को चिन्हित कर उसका यथोचित बदलाव संभव हो जाता है तथा इस बदलाव के कारण गिरावट पर अंकुश यथाशीघ्र अंकुश लगया जा सकता है।

मतः

कंपनी के पास सभी संबंधित सामग्रियां,पर्याप्त वित्तीय प्रबंधन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इसी वित्तीय प्रबंधन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को 31 मार्च, 2019 तक प्रभावकारी रूप से तैयार किया गया भी था जो इंस्च्युट ऑफ चार्टड एकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है वित्तीय प्रबंधन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षा दर्शाये गए नोट पर दिये गये अत्यावश्यक अभियोजको तथा कंपनी का स्थापित मानक के अनुरूप होते है।

दिनांक : 25.04.2019
स्थान :सम्बलपुर

एसएबीडी एवं सहयोगी की ओर से
(सनदी लेखाकार)
पंजीकरण संख्या : 020830एन
ह/-
सीए बी. के. गोयल
सहभागी
सदस्यता संख्या : 505314

अनुलग्नक- II

31 माच, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियॉ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा लेखा परीक्षा, दिनांक 25 अप्रैल, 2019 में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एमएनएच शक्ति लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण ना करने का निर्णय किया है।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं
महालेखाकार की ओर से
हस्ता/-
(मौसूमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-II कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 09.05.2019

अनुलग्नक- III

फार्म संख्या एम.आर.- 3
सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए

{कंपनी अधिनियम 2013 के नियम क्र.9 व कंपनी नियमवली,(नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निजी) 2014 के खंड 204(1) के अनुसरण में}

प्रति
सदस्य गण
एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड
आनंद विहार
पोस्ट ऑफिस,जागृति विहार,बुर्ला
संबलपुर, ओड़िशा-768020
भारत,

हमने मेसर्स एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड (तत्पश्चात इसे कंपनी कहा गया है) द्वारा निगम प्रथाओं के अवलंबन में लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षण दिनांक- 31 मार्च, 2019 के समाप्त वित्त वर्ष में किया। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार किया गया कि उससे निगम आचरणों/वैधानिक अनुपालनों तथा उनपर हमारी राय जाहिर करने का एक यथोचित आधार प्राप्त हुआ।

सचिवीय लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के अनुसार कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और दायर विवरणियों और अन्य रिकॉर्ड की जॉच के आधार पर, हमने अपनी राय के अनुसार प्रतिवेदित किया हैं कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित अवधि में निम्न सूचीस्थ वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया तथा कंपनी के पास निम्नानुसार यथोचित बोर्ड-प्रक्रियाएं व अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं ।

1. मैंने कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रखी हुई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों व दायर विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जॉच निम्न प्रावधानों के अनुसार किया -

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके के तहत् बनाये गए नियम।

(ii) कंपनी के अधिनियम ,1956 तथा उसके तहत् बनाये गए नियमावली के अंतर्गत विशिष्ट वर्गों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

(iii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनाये गए नियम, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

iv) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और अधिनियम के अधीन बने नियम और उपनियम, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और तदाधीन बने नियम और विनियम, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

vi) अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के तहत निर्धारित अधिनियम व दिशा निर्देश, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

vii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण), अधिनियम, 2011, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

viii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध), अधिनियम, 1992, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

ix) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं जारी करना) नियमन, 2009, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

x) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी शेयर विकल्प योजना व कर्मचारी शेयर क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

xi) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का सूचीकरण व जारीकरण) नियमन, 2008 आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

xii) कंपनी अधिनियम व पक्षकारों के साथ निपटान संबंधी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (शेयर जारीकरण व अंतरण अभिकर्ता के पंजीयक) नियमन, 1993 आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

xiii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) नियमन 2009 आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

xiv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूति वापसी क्रय) नियमन 1998, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

2, कंपनी पर लागू अन्य अधिनियमों, कानूनों व विनियमों के अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रणाली और व्यवस्था के लिए कंपनी तथा उसके अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदनों पर हमने विश्वास किया। कंपनी पर लागू अधिनियमों, कानूनों व विनियमों के प्रमुख शीर्ष/समूहों में दर्ज है।

क) कारखाना अधिनियम, 1948

ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947

ग) ट्रेड यूनियन, प्रशिक्षुओं, औद्योगिक रोजगार, मोटर परिवहन कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक नियम

घ) खनन गतिविधियों से संबंधित निर्धारित कार्य

ङ) वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, ई.एस.आई.सी. मुआवजा, मातृत्व, लाभ, श्रमिक, कल्याण आदि से संबंधित पेरोल व संविदात्मक आधार पर कंपनू द्वारा नियुक्त किये गए कर्मचारियों एवं श्रमिकों से संबंधित श्रमिक एवं अन्य आनुषंगिक कानून।

च) पर्यावरण एवं संरक्षण के तहत् निर्धारित अधिनियम।

छ) संविदा, टिकट, प्रतियोगिताओँ आदि से संबंधित व्यापार कानून।

हमारे आगे के प्रतिवेदन के तहत्

अधिनियम के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशक मंडल विधिवत गठन किया गया है। अधिनियमों के अनुपालन में निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए परिवर्तन को उल्लिखित टिप्पणियों की शर्तों पर कार्यान्वित किया गया है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक की पर्याप्त सूचना दी जाती है। बैठक की कार्यसूची व विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पूर्व भेज दिए जाते है तथा बैठक में सार्थक रूप से शामिल होने के लिए कार्यसूची संबधी वांछित अधिक जानकारी व स्पष्टीकरण पूर्व में ही प्राप्त करने हेतु प्रणाली मौजूद है ।

सभी निर्णयों का सर्वसम्मति से पालन किया जाता है तथा असहमत सदस्य के विचारों को, यदि हो तो, कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाता है ।

हम पुन: प्रतिवेदित करते हैं कि प्रबंधन द्वारा दिये गए दस्तावेजों तथा व्यखायोन के आधार पर, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार व संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली व प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

कृते एम. प्रधान एवं असोसियट्स
कंपनी सचिवालय

ह /-

सीएस मधुचन्द्रा प्रधान
एम.सं.: 34278
सी. पी.सं. 15659

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 10.06.2019

इस रिपोर्ट को हमारे इसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो कि **अनुलग्नक-क** मे संलग्न है तथा यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक – क

प्रति
सदस्य गण,
एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड
आनंद विहार,
पोस्ट ऑफिस-जागृति विहार, बुर्ला
संबलपुर, ओडिशा-768020

इस पत्र के साथ इसी तारीख तक की हमारी रिपोर्ट को पढ़ी जाये।

1. सचिवीय रिकार्ड के रख-रखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इस सचिवीय रिकार्ड पर राय व्यक्त करने के लिए है।
2. हमने, सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता की सुनिश्चतता के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवीय अभिलेखों में परिलक्षित तथ्यों की सत्यता जांच के आधार पर सुनिश्चित किया गया। हमारा विश्वास है कि हमने अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिन प्रक्रियाओं व पद्धतियों का पालन किया है वे तदाशय में एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के खाते की सत्यता और वित्तीय अभिलेखों का औचित्य और किताब सत्यापित नहीं किया है।
4. हमने कानूनों, नियमों और विनियमन के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के होने के बारे में आवश्यकतानुसार प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट के प्रावधान और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा जांच के आधार पर पक्रिया के सत्यापन तक सीमित था।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य में व्यवहार्यता के लिए और न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है।

कृते एम. प्रधान एवं असोसियट्स
कंपनी सचिवालय

ह/-

सीएस मधुचंद प्रधान
एम.सं.: 34278
सी. पी.सं. 15659

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 10.06.2019

अनुलग्नक – IV

फॉर्म संख्या॰ एमजीटी-9

दिनांक 31.03.2019 समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के वार्षिक रिटर्न का उद्धरण [कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 92(1) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)नियमावाली 2014 की नियम 12(1) के तहत]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

i)	सीआईएन:-	**U10100OR2008GOI010171**
ii)	पंजीकरण तिथि:	**16/07/2008**
iii)	कंपनी का नाम :	**एमएनएच शक्ति लिमिटेड**
iv)	कंपनी की श्रेणी: -	1 सार्वजनिक कंपनी ( ) 2 निजी कंपनी (√)

v) कंपनी के उप-केटेगरी:- [जो लागू है कृपया उस पर टिक लगाए]

सरकारी कंपनी	(√)
लघु कंपनी	( )
एक व्यक्ति की कंपनी	( )
विदेशी कंपनी की अनुषंगी कंपनी	( )
एनबीएफ़सी	( )
गारंटी कंपनी	( )
शेयरों द्वारा सीमित/	(√)
असीमित कंपनी	( )
कंपनी शेयर पूंजी के साथ	(√)
कंपनी शेयर पूंजी के विना	( )
धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी	

vi)

पता	मो./डाकघर – आनंद विहार जागृति विहार,बुर्ला
शहर :	संबलपुर
राज्य :	ओड़िशा
देश का नाम :	भारत
पिन कोड :	768020
फ़ैक्स नाम :	0663-2542553
ईमेल का पता :	csmnhshaktiltd@gmail.com
वैबसाइट :	

vii) क्या किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में शेयर सूचीबद्ध किया गया है- हॉ/ नहीं√

vii) पंजीकृत अथवा स्थानांतरण एजेंट के नाम,पता एवं संपर्क विवरण,यदि कोई है **शून्य**

II. कंपनी की मुख्य व्यवसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक के योगदान की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का विवरण:-

क्रम संख्या	मुख्य उत्पादों/सेवाओं के विवरण	उत्पादों/सेवाओं के एनआईसी कोड	कंपनी के कुल बिक्री की प्रतिशतता
1	**कोयला**	**051-05101 and 051-05102**	**100**

III. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण-

क्र.सं.	**कंपनी का नाम और पता**	**सीआईएन/जीएलएन**	**धारक/ अनुषंगी/ सहयोगी**	**शेयर का %**	**लागू धारा**
1	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड **मो./डाकघर** - जागृति विहार बुर्ला संबलपुर - 768020. ओड़िशा	U10102OR1992GOI003038	धारक	70	**धारा** - 2 (87)

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेक अप)

i) श्रेणी के हिसाब से शेयरहोल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % में बदलाव
	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रोमोटर्स									
(1) भारतीय	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ़	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ख) केंद्र सरकार	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ग) राज्य सरकार	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
घ) निकायों निगम	**0**	**85100000**	**85100000**	**100**	**0**	**85100000**	**85100000**	**100**	**0**
ङ) बैंकों/एफआई	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
च) अन्य कोई	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
प्रोमोटरों के कुल शेयरहोल्डिंग (क)	**0**	**85100000**	**85100000**	**100**	**0**	**85100000**	**85100000**	**100**	**0**

ख. पब्लिक शेयरहोल्डिंग									
1. संस्थाएं									
क) म्यूचुअल फंड	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ख) बैंको/एफआई	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ग) केंद्र सरकार	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
घ)राज्य सरकार(एस)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ङ) वैंचर कैपिटल फंड	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
च) इन्शुरेंस कंपनियों	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
छ) एफआईआई	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ज) विदेशी वैंचर कैपिटल फंड	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
झ) अन्य(विशेष)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल योग(ख)(1):-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. गैर- संस्थानों									
क) निकायों निगम									
i) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) व्यक्तिगत									
i) 1 लाख से तक के नामिनल शेयर रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकगण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) 1 लाख से अधिक के नामिनल शेयर रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकगण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य(विशेष)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग (ख) (2):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक शेयरों के रख-रखाव(ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग. जीडीआर एवं एडीआर के पास शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समग्र कुल (क+ख+ग)	**0**	**85100000**	**85100000**	**100**	**0**	**85100000**	**85100000**	**100**	**0**

प्रोमोटरों के शेयरहोल्डिंग

क्र.	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान % में बदलाव
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का **%**	प्लेज्ड शेयरों का **% /** कुल शेयरों के लिए भारिता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का **%**	प्लेज्ड शेयरों का **% /** कुल शेयरों के लिए भारित	
1.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	59570000	70	शून्य	59570000	70	शून्य	शून्य
2.	हिंडाल्को इंडसट्री लिमिटेड	12765000	15	शून्य	12765000	15	शून्य	शून्य
3.	नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड	12765000	15	शून्य	12765000	15	शून्य	शून्य

iii) **प्रोमोटरों के शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (यदि परिवर्तन न हुआ हो तो स्पष्ट करें)**

क्र.		**वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग**		**वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग**	
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
1	**प्रारंभिक वर्ष में**	85100000	100	100	85100000
2	तिथिवार एवं सकारण वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता निर्दिष्ट करने में हुई कमी/वृद्धि (उदाहरण के आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वीट इक्वीटी आदि):	**अपरिवर्तित**			
3	अंतिम वर्ष में	85100000	100	100	85100000

i) **शीर्ष 10 शेयरहोल्डरों के शेयरहोल्डिंग पैटर्न(जीडीआर एवं एडीआर से संबंधित निदेशकों,प्रोमोटर्स एवं होल्डर्स के अलावा)**

क्र.		**वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग**		**वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग**
	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरहोल्डरों के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरहोल्डरों के लिए**
1	**वर्ष के प्रारंभ में**	शून्य		
2	तिथिवार एवं सकारण वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता निर्दिष्ट करने में हुई कमी/वृद्धि (उदाहरण के आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वीट इक्वीटी आदि):	शून्य		
3	वर्ष के अंत में(या वर्ष के दौरान विभाजन की तिथि, यदि कोई विभाजन हुई हो तो	शून्य		

V) निदेशकों के शेयरहोल्डिंग एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक*:*

क्र.		**वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग**		**वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग**	
	प्रत्येक निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**प्रत्येक निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के लिए (%)**
1. वर्ष के प्रारंभ में		0	0	0	0
2. तिथिवार एवं सकारण वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता निर्दिष्ट करने में हुई कमी/वृद्धि (उदाहरण के आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वीट इक्वीटी आदि):		0	0	0	0
3. वर्ष के अंत में		0	0	0	0

V. ऋणग्रस्तता :

कंपनी का ब्याज बकाया/ उपार्जन सहित ऋणग्रस्तता परंतु भुगतान के लिए देय नहीं:

(रु. लाख में)

	जमा रहित सुरक्षित ऋण	**असुरक्षित ऋण**	**जमा**	**कुल ऋणग्रस्तता**
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	0	5.27	0	5.27
ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं	0	0	0	0
iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii)	0	5.27	0	5.27
वित्त वर्ष में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन			0	
* जोड़	0	2.80	0	2.80
* घटाव	0	0	0	0
निवल परिवर्तन	0	2.80	0	2.80
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	0	8.07	0	8.07
ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं	0	0	0	0
iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii)	**0**	**8.07**	**0**	**8.07**

VI. निदेशकों एवं प्रबंधात्मक कार्मिकों के पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और / या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

क.सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**एमडी/डब्लुटीडी/मैनेजर का नाम**	**कुल राशि**
1	सकल वेतन	-----	-----
	(क) 1961 धारा 17 (1) आयकर अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-----	-----
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961, धारा 17 (2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	-----	-----
	(ग) आयकर अधि., 1961, धारा 17 3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	-----	-----

2	स्टॉक का विकल्प	-----	-----
3	स्वीट इक्वीटी	-----	-----
4	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य(निर्दिष्ट करें…	-----	-----
5	अन्य,(निर्दिष्ट करें…	-----	-----
	कुल (क)		-----
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग	-----	-----

ख. ***अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक:***

क्र. सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**निदेशकों का नाम**	**कुल राशि**
1	स्वतंत्र निदेशक	-----	-----
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-----	-----
	कमीशन	-----	-----
	अन्य,(निर्दिष्ट करें)	-----	-----
	कुल (1)	-----	-----
2	अन्य गैर- कार्यकारी निदेशकों	-----	-----
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-----	-----
	कमीशन	-----	-----
	अन्य,(निर्दिष्ट करें)	-----	-----
	कुल (2)	-----	-----
	कुल (ख)=(1+2)	-----	-----
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-----	-----
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग	-----	-----

ग. *एमडी / प्रबंधक / डब्लुटीडी के अलावा प्रमुख प्रबंधात्मक कर्मियों के पारिश्रमिक:*

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधात्मक कर्मी (रु. में)			कुल राशि
		सीईओ	सीएफ़ओ	सीएस	
1	सकल वेतन				
	(क) 1961 धारा 17 (1) आयकर अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	2.66	2.73	6.14	11.53
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961, धारा 17 (2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधि., 1961, धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-
3	स्वीट इक्वीटी	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-
	- अन्य (निर्दिष्ट करें...	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
	कुल	2.66	2.73	6.14	11.53

VII. जुर्माना/ दंड/ अपराधों का समझौता:

प्रकार	कंपनी के नियम अंतर्गत धारा	विस्तृत विवरण	जुर्माना / दंड / लगाए गए समझौता फीस का विवरण	अथोरीटि [आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट]	अपील,यदि हो, तो विवरण दें
क. कंपनी					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशकगण					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

31.03.2019 के अनुसार तुलन पत्र

(₹ लाख में)

	.टप्पणी संख्या	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 (पुनः घोषित)
परिसंपत्तियाँ			
गैर- चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	2,060.16	2,139.41
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति	4	10.18	252.67
(ग) अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ	5	-	-
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6	-	-
(ड़) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii)ऋण	8	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	-	-
(च) स्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)			
(छ) अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियाँ	10	-	-
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियाँ (क)		2,070.34	2,392.08
चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तु सूची	12	-	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	13	-	-
(iii) नकद एवं नकद समकक्ष	14	5,900.83	5,584.87
(iv) अन्य बैंक शेष	15	-	-
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	3.01	3.01
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		263.99	228.35
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	257.47	257.47
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (ख)		6,425.30	6,073.70
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		**8,495.64**	**8,465.78**

जारी तुलनपत्र .....

(₹. लाख में)

31.03.2019 के अनुसार तुलन पत्र

	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	8,510.00	8,510.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	(52.15)	(52.15)
कुल इक्विटि (क)		8,457.85	8,457.85
देयताएँ			
गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	-	-
(ख) प्रावधान	21	-	-
(ग) अन्य गैर-चालू देयताएँ	22	-	-
कुल गैर-चालू देयताएँ (ख)		-	-
चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) व्यापार देय	19	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमो के अलावा लेनदारो की कुल बकाया राशि		26.29	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	11.42	7.86
(ख) अन्य चालू देयताएँ	23	0.08	0.07
(ग) प्रावधान	21	-	-
कुल चालू देयताएँ (ग)		37.79	7.93
कुल इक्विटी एवं देयताएँ (क+ख+ग)		**8,495.64**	**8,465.78**

साथ के टिप्पण वित्तीय विवरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बोर्ड की ओर से

ह/-	ह/-	ह/-
(एस. के. बेहेरा)	**(एन. राजशेखर)**	**(ए. के. सिंह)**
कंपनी सचिव	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**मुख्य कार्य करी अधिकारी**

ह/-
के. आर. वसुदेवन
निदेशक
डीआईएन: 07915732

ह/-
ओ.पी. सिंह
अध्यक्ष
डीआईएन: 07627471

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स एसएबीडी एंड एसोसिएट्स की ओर से

सनदी लेखाकर

ह/-

(सीए बी. के. गोयल)
साझेदार
सदस्यता संख्या . 505314)
फर्म पंजीकरण संख्या - 020830एन

दिनांक:25.04.2019

स्थान : सम्बलपुर

लाभ एवं हानि का विवरण
31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए

		टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए
	प्रचालन से राज. व			
क	विक्रय(उत्पाद शुल्क को छोड़ कर निवल संवेधिक लेवी)		-	-
ख	अन्य प्रचालन राजस्व (लेवी)			-
			-	
(I)	**प्रचालन से राजस्व (क+ख)**		-	-
(II)	अन्य आय		-	-
(III)	**कुल आय (I+II)**			
(IV)	**व्यय**			
	खपत सामग्री की लागत		-	-
	निर्मित माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन /कार्य में प्रगति एवं व्यापार में स्टॉक		-	-
	उत्पाद शुल्क			
	कर्मचारी लाभ व्यय		-	-
	ऊर्जा व्यय		-	-
	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय		-	-
	मरम्मत		-	-
	संविदात्मक व्यय		-	-
	वित्त लागत		-	-
	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि व्यय		-	-
	प्रावधान		-	-
	बट्टे खाते में डालना		-	-
	स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन			
	अन्य व्यय		-	-
	कुल व्यय (IV)			-
(V)	**असाधारण मद एवं कर पूर्व पहले लाभ (I-IV)**		-	-
(VI)	असाधारण मद		-	
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**			-
(VIII)	कर व्यय			
(IX)	**सतत प्रचालन अवधि के लिए लाभ(VII-VIII)**			-
(X)	बंद प्रचालन से लाभ/(हानि)		-	
(XI)	बंद प्रचालन के कर व्यय		-	-
(XII)	बंद प्रचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
(XIII)	संयुक्त उद्यम में शेयर/सहयोगियों के लाभ/(हानि)		-	
(XIV)	**अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)**		-	-

लाभ एवं हानि का विवरण
31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए

(₹ लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए
अन्य .यापक आय			
क (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
(ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
ख (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
(ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत किया जायेगा।		-	-
(XV) कुल अन्य व्यापक आय			-
(XVI) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV)(अवधि के लिए लाभ (हानि) अन्य व्यापक आय शामिल)			-
लाभ के लिए जिम्मेदार :		-	
कंपनी के स्वामित्व		-	-
गैर-नियंत्रित ब्याज			
अन्य व्यापक आय के कारण :			
कंपनी के स्वामित्व		-	-
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल व्यापक आय के कारण :			
कंपनी के स्वामित्व		-	-
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	
(XVII) प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालन हेतु):			
(1) मौलिक		-	
(2) मंदित		-	
(XVIII) प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (बंद प्रचालन हेतु)::			
(1) मौलिक		-	-
(2) मंदित		-	-
(XIX) प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत एवं बंद प्रचालन):			
(1) मौलिक		-	-
(2) मंदित		-	-

संगत टिप्पण वित्तीय विवरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बोर्ड की ओर से

ह/-
(एस. के. बेहेरा)
कंपनी सचिव

ह/-
(एन. राजशेखर)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(ए. के. सिंह)
मुख्य कार्य करी अधिकारी

ह/-
के. आर. वसुदेवन
निदेशक
डीआईएन: 07915732

ह/-
ओ.पी. सिंह
अध्यक्ष
डीआईएन: 07627471

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स एसएबीडी एंड एसोसिएट्स की ओर से
सनदी लेखाकर

ह/-
(सीए बी. के. गोयल)
साझेदार
सदस्यता संख्या . 505314)
फर्म पंजीकरण संख्या - 020830एन

दिनांक:25.04.2019

स्थान : सम्बलपुर

31-03-2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क) इ.िवटी शेयर पूंजी

(₹.लाख में)

विवरण	दिनांक 01.04.2017 तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2018 तक शेष	दिनांक 01.04.2018 तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2019 तक शेष
8,510.00	-	8,510.00	8,510.00	-	8,510.00	8,510.00

ख) अन्य इक्विटी

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय पुनः घोषित	अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	पूंजी रिजर्व				
दिनांक 01.04.2017 तक शेष	-	-	-	-	-	-
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान हुई त्रुटि	-	-	-	-	-	-
दिनांक 01.04.2016 तक पुन: वर्णित	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (निवल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोजन	-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्त आय (मुख्यालय) में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व को /से हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2018 तक शेष	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान योग	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (निवल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोजन	-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्त आय (मुख्यालय) में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व को /से हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2019 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.टप्पणी: 1 कॉरपोरेट जानकारी

केंद्र सरकार द्वारा तालाबीरा -II और III कोल ब्लॉक का निर्णय किया गया, जिसके तहत 20 एमटीवाई की अंतिम क्षमता और 23 एमटीवाई की अधिकतम क्षमता के साथ खनन कार्य किया जा सके। इसके लिए एमसीएल, एनएलसी और हिंडाल्को के बीच क्रमश: 70:15:15 के अनुपात के एक्विटी होल्डिंग के साथ संयुक्त उद्यम का निर्माण किया गया। तत्पश्चात दिनांक 16 जुलाई, 2008 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड संयुक्त उद्यम निगमित किया गया और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उसे पंजीकृत किया गया।

टिप्पणी 2: महत्पूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयारी का आधार

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

31 मार्च, 2016 तक के सभी अवधि के लिए इसी दिन समाप्त वर्ष को शामिल करते हु एकंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133, सपठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के पैरा 7 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक (ए.एस) तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियम -2006 (पूर्व भारतीय जीएएपी) के अनुसार अपना वित्तीय विवरण तैयार किया है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए यह वित्तीय विवरण कंपनी का पहला वित्तीय विवरण है।
वित्तीय विवरण, उचित मूल्य पर प्रमाणित कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के अतिरिक्त पारंपरिक लागत आधारित मूल्य पर तैयार किया गया है। (पैरा 2.15 में उल्लेखित वित्तीय मामलों पर लेखा नीति का अवलोकन करे)

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक लाख रुपए दो दशमलव अंको तक राउंड किए जाएंगे।

2.2 समेकन के आधार

2.2.1 अनुषंगिया-

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर समूह का नियंत्रण है। समूह एक इकाई पर नियंत्रण करती है, जब समूह को इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय लाभ हो या इनका अधिकार हो तथा इकाई के संबंध में गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन लोगों को प्रभावित करने की क्षमता हो, तब कंपनी को नियंत्रित कर स्थानांतरित किया जाता है उस तारीख से सहायक कंपनियां पूरी तरह से समेकित की जाती है। जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो उस तारीख से उनको हटा दिया जाता है।

समूह द्वारा व्यापारिक संयोजन के लिए लेखांकन के अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

समूह संपत्ति देनदारियों, इक्विटी, नकदी प्रवाह आय एवं व्यय की वस्तुओं को शामिल करने के उपरांत मुख्य एवं उसकी सहायक समूहों के वित्तीय विवरण को जोड़ती है। अंतर कंपनी लेनदेन कंपनियों के बीच शेष एवं अवास्तविक लाभ का निषेध करती हैं।

अवास्तविक नुकसान को भी निकाल दिया गया है, जब तक लेनदेन परिसंपातियों की हानि का सबूत नहीं मिलता है। समूह के सदस्य आमतौर पर नीतियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि समूह द्वारा किए गए लेन समान तथा देन-संक लिए के घटनाओं में परिस्थितियोंलित किया गया है। सहायक समूहों के महत्वपूर्ण विचलन के मामलों में तथा समूहों के समेकित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने के लिए इस तरह के एक सहायक' समूह के वित्तीय विवरण के लिए उचित समायोजन किया जाता है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर-नियंत्रित हित, इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरण एवं तुलन-पत्र को अलग से लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है।

2.2.2 सहायिकाएँ:-

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेकिन उस पर कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है। यह आमतौर पर ऐसा मामला है जहां समूह 20% से 50% के बीच मतदान अधिकार रखती है।

लागत के रुप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात सहयोगी कंपनियों में निवेश का लेखा-जोखा लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग कर किया जाता है, जब तक बिक्री के लिए आयोजित निवेश व इसके एक हिस्से को वर्गीकृत नहीं किया जाता है, जिसका लेखा-जोखा भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुरुप किया जाएगा।

कंपनी अपनी सहायक कंपनियों में शुद्ध निवेश को उद्देश्यपूर्ण साक्ष्य के आधार पर कम करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था:

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां समूह एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण करती है।
संयुक्त नियंत्रण अनुबंध की सहमति से सहमत होने की वह व्यवस्था है ,जहां प्रसांगिक गतिविधियों से संबंधित फैसले को साझा करने के लिए पार्टियों के सर्वसम्मत संकल्प की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्था को संयुक्त अभियान या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाए प्रत्येक निवेशक के अनुबंध के अधिकारों और दायित्व पर निर्भर करता है।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह को संपत्ति से संबंधित देनदारियों के लिए परिसंपत्तियों और दायित्वों के अधिकार मिले हैं।

समूह परिसंपत्तियों ,देनदारियों, राजस्व और संयुक्त संचालन के खर्चों और उसके किसी भी संयुक्त रुप में आयोजित किए गए परिसंपत्तियों, देनदारियों ,राजस्व और व्ययों का अपना प्रत्यक्ष अधिकार रखती है इसे उचित शीर्षकों के तहत वित्तीय वक्तव्य में शामिल किया गया हैं।

2.2.5 संयुक्त उद्यम-:

संयुक्त उद्यम वे संयुक्त व्यवस्थाएं हैं जिसमें समूह को शुद्ध संपत्ति व्यवस्था के अधिकार प्राप्त हैं।

समेकित तुलन-पत्र में लागत के रुप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात सन्युक्त उद्यम में हितों का लेखा-जोखा इक्विटी पद्धति का उपयोग कर किया जाता है।

प्रारंभ में लागत पर पहुंचनेके बाद संयुक्त उद्यम में निवेश लेखांकन पद्धति को उपयोग हेतु ध्यान में लाया जाता हैं, जबकि निवेश या उसके किसी हिस्से को बिक्री किया जाता है तो उस स्थिति में इसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

समूह उद्देश्य के साक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम में अपने शुद्ध निवेश को ह्रास करती है।

2.2.6 इक्विटी पद्धति -

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेश को शुरुआती लागत पर मान्यता प्राप्त है, इसके बाद समूह के शेयरों के अधिग्रहण के लाभ व हानि में निवेशक के नुकसान को पहचानने के लिए तथा समूह शेयरों के अन्य व्यापक आय में निवेशक के अन्य व्यापक आय को पहचानने के लिए उसका समायोजन किया जाता है। सहयोगियों और संयुक्त उद्यम से प्राप्त या प्राप्त होने वाली लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में लिया जाता है।

जब समूह के इक्विटी शेयर के निवेश में नुकसान जो इकाई के हितों के बराबर या उससे अधिक हो जाता है ,जिसमें किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य भी शामिल है, तो समूह अधिक नुकसान नहीं पहचानती है जब तक की अन्य इकाई की तरफ से कार्य या भुगतान न किया गया हो।

समूह और उसके सहयोगियों एवं संयुक्त उपक्रम के बीच लेन-देन के फायदे इन संस्थाओं में कंपनी के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत नुकसान भी समाप्त हो जाते हैं जब तक कि अपनाई गई लेनदेन की नीतियों में संपत्ति की हानि का सबूत नहीं मिलता, समूह द्वारा अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां निवेशक को ध्यान में रखते हु एइक्विटी की लेखांकन नीतियों में बदलाव किया जाता हैं।

2.2.7 स्वामित्व के हितों में बदलाव

समूह इक्विटी स्वामित्व के साथ लेनदेन की प्रक्रिया में होने वाले गैर नियंत्रण हितों के नुकसान को नियंत्रित करती है। स्वामित्व के हितों में बदलाव वर्तमान राशियों के नियंत्रण एवं गैर-नियंत्रण हितों को उनके संबंधित सहायक

समूहों में दर्शाने हेतु समायोजित करती है। गैर-नियंत्रित हितों की राशि में एवं किसी भुगतान या प्राप्त किए गए उचित मूल्य में किसी भी प्रकार के अंतर को इक्विटी के भीतर स्वीकार किया जाएगा।

जब समूह नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के नुकसान के कारण एक निवेश हेतु समेकित या इक्विटी खाते को समाप्त करती है तो किसी भी इक्विटी में बनाए गए हित लाभ व हानि में स्वीकार किए गए वर्तमान राशि में बदलाव सहित उसके उचित मूल्य पर पुनः मापे जाते हैं। यह उचित मूल्य सहयोग ,संयुक्त उद्यम व वित्तीय संपत्ति के बनाए गए हित के रूप में लेखांकन प्रयोजन हेतु वर्तमान राशि होंगे। इसके अलावा उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृत राशि का विवरण दिया जाता है जैसे कि समूह में संबंधित संपत्ति या देनदारियों का सीधे निपटारा किया गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशियों का लाभ व हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। यदि संयुक्त उद्यम व सहयोगी कंपनी में स्वामित्व हित कम है परंतु संयुक्त नियंत्रण व महत्वपूर्ण प्रभाव बने हु एहैं तो केवल अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशि का समानुपात शेयर हानि व लाभ में जहां आवश्यक हो वर्गीकृत किया जाएगा।

यदि संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व के हित में कमी होती है लेकिन संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव बरकरार रहता है, तो पहले व्यापक आय में मान्यता प्राप्त राशि का केवल आनुपातिक हिस्सा उचित या लाभ के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण:

कंपनी अपने तुलन-पत्र में चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब,

क. यह सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूले अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है।

ख. यह परिसंपत्ति को मुख्य तौर पर व्यापार के उद्देश्य के लिए रखती है

ग. यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति के वसूली की अपेक्षा रखती है अथवा

घ. परिसंपत्ति नकद समकक्ष (लेखांकन नीति 7 में यथा-परिभाषित) रुप में तब तक रहती है जब तक परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय किए जाने या देयता के निपटान के लिए उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी के द्वारा किसी देयता को चालू के रुप में तब माना जाता है जब:

क. यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपतान की अपेक्षा रखती है।

ख. इसकी देयता मुख्य तौर पर व्यपार के लिए होती है।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर बकाये देयता का निपटान किया जाना है अथवा।

घ. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार इसके पास नहीं है। प्रतिरुप के विकल्प पर किसी देयता के जो नियम इक्विटी-विपत्रों को जारी करके इसके निपटान के फलस्वरुप हो सकते थे, वे इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.4 <u>राजस्व मान्यता</u>

भारतीय मानक लेखांकन 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले राजस्व भारतीय मानक लेखांकन 11 और भारतीय मानक लेखांकन 18 राजस्व मान्यता का अधिक्रमण करता है, और यह अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय मानक लेखांकन 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले राजस्व के लिए एक पांच-चरण मॉडल स्थापित करता है और उसके लिए यह आवश्यक है कि वह राजस्व एक राशि पर मान्य हो जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवायें हस्तांतरित करने के लिए कंपनी एक्सचेंज के लिए हकदार होने की उम्मीद रखती हो । कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल या "कंपनी") ने स्वीकार्य की पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करते हु ये भारतीय मानक लेखांकन 115 को अपनाया है।

भारतीय मानक लेखांकन 115 के लिए संस्थाओं के अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हु ए को निर्णय लेने कि आवश्यकता होती है। मानक, अनुबंध के वृद्धिशील लागतों को प्राप्त करने और अनुबंध को पूरा करने से संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

कोल इंडिया लिमिटेड भारत देश द्वारा नियंत्रित दुनिया में सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में स्थित है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब माल या सेवाओं पर नियंत्रण एक राशि पर मान्य हो जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवायें हस्तांतरित करने के लिए कंपनी एक्सचेंज के लिए हकदार होने की उम्मीद रखती हो । कंपनी ने आम तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि यह उसकी राजस्व व्यवस्था का उद्देश्य है क्योंकि यह वस्तु या सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले नियंत्रित करता है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान:

ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी तभी ज़िम्मेदारी लेती है जब ग्राहक निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:

क) अनुबंध के पक्षकारों को अनुबंध को स्वीकार करना होता है और वे अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं;

ख) कंपनी स्थानांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है।

ग) कंपनी स्थानांतरित किए जाने वाले वस्तु और सेवाओं के लिए भुगतान शर्तों की पहचान कर सकती है।

घ) अनुबंध में वाणिज्यिक विषय (यानी, अनुबंध के प्रत्याशित बदलाव स्वरूप जोखिम, समय,कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि); और

ड़) यह संभव है कि कंपनी उस विचार करेगी जिसके लिए वह ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं हेतु एक्स्चेंज के लिए हकदार होगा। तय की गई राशि जिस पर कंपनी हकदार होगी, वह अनुबंध में निर्दिष्ट कीमत से कम हो सकती है, यदि तय की गई राशि परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धन वापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह पारितोषिक प्रदान किए जा सकते हैं।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या दो से अधिक अनुबंधों को समेकित करती है यदि एक ही ग्राहक द्वारा एक ही समय में या एक ही समय के आस-पास अनुबंध दाखिल की जाती है (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) और अनुबंध एक एकल अनुबंध के रूप में मान्य होगा, यदि निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता है

क) एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एकमुश्त में अनुबंधों तय की जा सकती है;

ख) अनुबंध में भुगतान किए जाने वाले तय राशि दूसरे अनुबंध के निष्पादन या कीमत पर निर्भर करती है; या

ग) अनुबंध में तय किए गए वस्तु या सेवायें (या प्रत्येक अनुबंध में तय किए गए कुछ वस्तु या सेवाएं) एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अलग अनुबंध के रूप में अनुबंध संशोधन के लिए उत्तरदायी है यदि निम्न दोनों स्थितियां मौजूद हैं:

अनुबंध की गुंजाइश बढ़ जाती है क्योंकि तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं से यदि वे अलग हों,

अनुबंध की कीमत तय की गई कीमत से बढ़ सकती है यह कंपनी की स्टैंड-अलोन अतिरिक्त तय की गई वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्यों और उस मूल्य के कोई उपयुक्त समायोजन जो विशेष अनुबंध के परिस्थितियों को दर्शाता हो।

चरण 2: निष्पादन दायित्वों की पहचान:

अनुबंध करते समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को प्रत्येक प्रतिबद्धता को स्थानांतरित करने के लिए निष्पादन बाध्यता रूप में पहचान करने के लिए:

क) वस्तुओं या सेवाओं (वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो अलग है; या

ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक एक समान होती है और ग्राहक के लिए स्थानांतरण का समान पैटर्न होता है।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी अनुबंध की निबंधन और लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए उसके प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं अनुबंध की शर्तों का ध्यान रखती है। लेन-देन का मूल्य तय की गई वह राशि है, जिसके बारे में कंपनी उम्मीद करती है कि वह तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने हेतु एक्स्चेंज के लिए हकदार होगी। एक ग्राहक के

साथ एक अनुबंध में तय किए गए प्रतिबद्धता में नियत राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।
लेन-देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों का ध्यान रखती है:

- परिवर्तनीय स्वीकार्यता;
- परिवर्तनीय निर्णय के आकलन;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद निर्णय;
- ग्राहक को देय निर्णय

बट्टा , छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान पारितोषकों के कारण तय की गई राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी भविष्य में होने वाली घटना के होने या न होने पर विचार करती है तो प्रतिबद्ध निर्णय भी भिन्न हो सकता है ।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सारांश के अनुसार दंड की गणना की जाती है। जहां लेन-देन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह परिवर्तनीय निर्णय का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित परिवर्तनीय निर्णय की राशि को शामिल करती है जिससे अत्यधिक संभावना है कि मान्य संचयी राजस्व की राशि में में एक महत्वपूर्ण व्युत्क्रम तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय निर्णय से जुड़ी अनिश्चितता कों बाद में दूर किया जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो ।

कंपनी प्रतिदाय दायित्व को स्वीकार करती है यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है और कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है। प्रतिदाय दायित्व को प्राप्त भुगतान (या प्राप्य) की उस राशि के आधार पर तय किया जाता है, जिसके लिए कंपनी स्वत्वाधिकारी की उम्मीद नहीं करती है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि) प्रतिदाय दायित्व (और लेन-देन मूल्य में संगत परिवर्तन और , इसलिए, अनुबंध दायित्व) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध की प्रारंभ होने के बाद, लेनदेन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस भुगतान की राशि को बदल सकती, जिसके लिए कंपनी प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक्स्चेंज में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य का आवंटन:

लेन-देन मूल्य का आवंटन करते समय कंपनी का उद्देश्य कंपनी के लिए प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या अलग-अलग वस्तुओं या सेवा) के लिए उस राशि पर लेनदेन मूल्य आवंटित करना है जो इसमें कंपनी को ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के लिए एक्स्चेंज में कंपनी द्वारा अपेक्षित हकदार होने की भुगतान की गई राशि को प्रदर्शित करती है।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व को मान्यता देना :
कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करके निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। वस्तु या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या जैसे) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय पर वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, और इसलिए कंपनी समय पर निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

क) ग्राहक कंपनी के साथ-साथ कंपनी के निष्पादन द्वारा प्राप्त लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है, जैसा कि कंपनी प्रदर्शन करती है।
ख)कंपनी का निष्पादन संपति सृजित करता है या बढ़ाता है और जितनी संपति सृजित या बढ़ाई जाती है, उतना ही ग्राहक उसे संपति के रूप में नियंत्रित करता है।

ग)कंपनी का निष्पादन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ संपत्ति सृजित नहीं करती है तो कंपनी को अब तक के निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन बाध्यता को समय पर पूरा करने लिए, कंपनी उस निष्पादन बाध्यता की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रख कर समय पर राजस्व को मान्यता देती है।

कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन बाध्यता की प्रगति को आँकने के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में हमेशा लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आंकलन करता है।

कंपनी अनुबंध के अंतर्गत तय किए गए शेष सामानों या सेवाओं के सापेक्ष ग्राहक को स्थानांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए उत्पाद पद्धति लागू को करती है।

उत्पाद पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि , व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियां शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी निष्पादन बाध्यता के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने की प्रगति के अपने उपाय को अद्यतन करती है। कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी सिर्फ समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता के लिए राजस्व को मान्यता देती है, यदि जब कंपनी निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आंकलन यथोचित रूप से करती है। जब (या जैसे) निष्पादन बाध्यता पूरा हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित होता है।

यदि निष्पादन बाध्यता समय पर पूरा नहीं है, तो कंपनी एक समय में निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार होता है।
ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा कानूनी हक होता है।
ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे को स्थानांतरित कर दिया है।
घ) ग्राहक के पास महत्वपूर्ण जोखिम और वस्तु या सेवा के स्वामित्व होता हैं।
ड.) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब अनुबंध के लिए किसी पार्टी ने निष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर अनुबंध को अनुबंध आस्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपति :

एक अनुबंध संपति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के एक्स्चेंज में निर्णय का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अनुबंध देयता अर्जित निर्णय के लिए मान्यता प्राप्त है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्ति :
कंपनी स्वीकार करने योग्य विचारो का प्रतिनिधित्व करता है जो शर्तरहित है (अर्थात भुगतान के विचार से से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)

अनुबंध देयताएं:

अनुबंध देयता ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व रखती है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक के विचार (विचारणीय राशि देय है) प्राप्त होते है। यदि ग्राहक के विचार करने से पूर्व कंपनी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करती है, और भुगतान किया या बकाया हो, तब अनुबंध देयता को पहचाना जाता है (जो भी पहले हो)। जब कंपनी अनुबंध के तहत कार्य करती है तब अनुबंध देयता को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जाती, जब तक कि यथोचित आश्वासन नहीं दिया जाता है कि इससे जुड़ी शर्तों का कंपनी पालन करेगी तथा इसकी निश्चितता हो कि अनुदान अवश्य प्राप्त किये जाएंगे।

लाभ हानि विवरण में अवधि के दौरान नियमित आधार पर सरकारी अनुदान स्वीकार की जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को खर्चे के रुप में मानती है जिसके लिए अनुदान से उसकी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा रहती है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को आस्थगित आय के रूप में अनुदान को तुलन-पत्र में प्रदर्शित करते हु एप्रस्तुत किया जाता है।

आय से संबंधित अनुदान को (संपत्ति को छोड़कर अन्य के लिए अनुदान)'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ हानि या विवरण के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सरकारी अनुदान जो कंपनी के पूर्व में हु ए खर्चों या नुकसान के लिए अथवा तत्काल आर्थिक मदद पहुं चानेके उद्देश्य से क्षतिपूर्ति के रुप में प्राप्त करने योग्य होते है, जिसमें भावी खर्चे शामिल नहीं है, उस अवधि के लाभ या हानि में स्वीकार किए जाते है जिसमें इसे प्राप्त करना है।

2.6 पट्टा:

वित्तीय पट्टा वह पट्टा है जो वास्तव में सभी जोखिमों एवं उपलब्धियों को किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित करता है। स्वामित्व का हस्तांतरण हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है।

प्रचालन पट्टा, वित्तीय पट्टा से एक भिन्न पट्टा है।

2.6.1 कंपनी एक पट्टेदार के रूप में:

पट्टे को आरंभिक रूप में वित्त पट्टे या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वह पट्टा जो कंपनी को स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों और उपलब्धियों को स्थानांतरित करता है उसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.6.1.1 पट्टे के प्रारंभ में **वित्त पट्टों** को शुरुआती समय में पट्टे पर संपत्ति के उचित मूल्य या, यदि निम्न, न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे का भुगतान वित्त प्रभारों तथा कमी की देयता के बीच विभाजित किया जाता है ताकि शेष राशि की देयता पर स्थायी दर प्राप्त हो सके।

लाभ और हानि के विवरणानुसार वित्त प्रभार को लागत द्वारा मान्यता प्राप्त है, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रुप से योग्य परिसंपत्तियां नहीं खरीदते हैं, इस मामले में वह उधार लेनदेन की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किए जाते हैं।

संपत्ति के उचित उपयोग को पट्टे युक्त परिसंपत्ति क्षीण करती है तथापि यदि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी तो परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग तथा पट्टे की अवधि को संपत्ति क्षीण करती है।

2.6.1.2 परिचालित पट्टे:

परिचालित पट्टे के अंतर्गत पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप में किए गए व्यय के आधार तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि :

क. उपभोक्ता लाभ के समय स्वरुप दूसरा सुव्यवस्थित बाजार अधिक द्योतक है, यद्यपि पट्टादाता को उस आधार पर भुगतान न किया गया हो अथवा,

ख. पट्टादाता के अपेक्षित मुद्रा स्थिति की लागत में रियायत प्राप्त होने के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के पट्टादाता को किए गए भुगतान के रूप में संचारित किया गया है। यदि पट्टादाता को किए गए भुगतान सामान्य मुद्रास्फीति से भिन्न हो तो, यह शर्त नहीं मानी जाएगी।

2.6.2 पट्टेदाता के रुप में कंपनी:

परिचालन पट्टा: परिचालन पट्टों से आय को (बीमा एवं अनुरक्षण जैसी सेवाओं के लिए राशि को छोड़कर) पट्टे की अवधि में जब तक इनमें से कोई न हो, तो सीधे तौर पर आय में स्वीकार किया जाता है:

क. समय प्रणाली का दूसरा व्यवस्थित आधार प्रभावी द्योतक है जिसमें पट्टादाता को इस आधार पर भुगतान नहीं करने पर भी पट्टाधारित परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ को कम कर दिया जाता है अथवा

ख. इसका भुगतान इस रूप में संरचित होता है कि सामान्य अवमूल्यन की स्थिति में भी अनुमानित प्रतिपूरक लागत का अवमूल्यन मूल्य बिना व्यवधान के समायोजित होता है। यदि पट्टा का भुगतान अवमूल्यन की तुलना में काफी प्रतिपूरक रहता है तो इस स्थिति में यह व्ययित नहीं होता है।

समझौता तथा परिचालन पट्टा में किया गया प्रारंभिक व्यय को सीधे पट्टा संपत्ति के साथ शेष राशि को भी जोड़ दिया जाता है जैसा कि पट्टा आय के रूप में प्रारंभिक पट्टा के शर्तों के अनुरूप जिसे निष्पादित किया गया था।

वित्तीय पट्टा के अंतर्गत बकाया राशि को उस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है जिसमें कंपनी के पट्टे में सीधे निवेश की गई प्राप्ति के साथ उसे जोड़ दिया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लेखा के गणना की अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें पट्टा के अतिरिक्त बकाया निवेश को निरंतर आवृत्तिमूलक रुप में दर्शाया जाता है।

2.7 बिक्री हेतु गैर-चालू संपत्ति

कंपनी गैर चालू संपत्तियों को वर्गीकृत एवं बिक्री हेतु आयोजित करती है यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो । विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में,बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए । प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

इस उद्देश्य के लिए यह बिक्री लेनदेन विनिमय गैर चालू संपत्ति से अन्य गैर चालू संपत्ति में भी किया जा सकेगा जो व्यवसायिक प्रयोजनार्थ लागू होता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना

जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा।
संपत्ति या निष्पादन समूह वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब

- एक उचित स्तरीय प्रबंधन परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो।
- खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने हेतु एक कारगर कार्यक्रम की पहल की गई हो।
- वर्तमान के उचित मूल्य की तुलना में समुचित मूल्य हेतु बिक्री हेतु परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) के लिए सक्रिय रुप से बाजार ढूंढ जा रहा हो।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: पूरी हो तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो तो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई):

भूमि पारम्परिक लागत पर ली जाती है। पारम्परिक लागत में वह व्यय भी शामिल है जो संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले पुनर्वास खर्च,पुनर्वास लागत और क्षतिपूर्ति आदि जैसे भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है।

मान्यता के बाद,अन्य सभी संपत्ति,संयंत्र एवं उपकरण के एक मद को लागत मॉडल के तहत किसी संचित अवमूल्यन एवं किसी सचित क्षतिकर नुकसानों को घटाकर इसकी लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति,संयंत्र और उपकरण के किसी मद की लागत में ये शामिल हैं:
क) इसके खरीद मूल्य में व्यावसायिक छूट व कटौती को घटाने के बाद आयात शुल्क एवं गै-वापसी योग्य खरीद-कर शामिल है।
ख) प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परिचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक परिसंपत्ति को लाने में प्रत्यक्ष कारक कोई लागत है।
ग) सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थल तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे कंपनी ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। फिर भी किसी समुपयोगी अंश में उसी पीपीई के साथ जीवनोपयुक्त हो जाता है तथा विखंडनीकरण प्रणाली एक समूह में आ जाते हैं जो शुल्क सहित होता है।

मरम्मत और रख-रखाव के लिए उल्लेखित दिन-प्रतिदिन की अनुरक्षण की कीमतें,जो उस अवधि में लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं,जिसमें उस पर खर्च किया जाता हो।

संपत्ति,संयंत्र और उपकरण की एक मद की कुल लागत से संबंधित महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की कीमत मद के वर्तमान राशि में स्वीकार किए जाते हैं,अगर संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनियता से मापा जा सकता है,तो जिन भागों को विस्थापित किया गया है,उनमें वर्तमान राशि को नीचे अस्वीकरण नीति के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब बड़े निरीक्षण किए जाते हैं,तो इसकी कीमत संपत्ति,संयंत्र और उपकरण के सामान के प्रतिस्थापन राशि के रुप में पहचानी जाती है,यदि यह संभावित है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीयता उसे मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष वर्तमान राशि को अस्वीकार कर दिया जाता है।

संपत्ति संयंत्र या उपकरण का कोई भी अंश इसके साथ सम्मिलित किये जाने पर उसे असंबंद्ध कर दिया जाएगा या भविष्य में कोई भी लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन सम्पत्तियों के निरंतर व्यवहार से अपेक्षित रहा हो। किसी तरह का लाभ या नुकसान संपत्ति संयंत्रों या उपकरणों के इन विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष में इनका लाभ या नुकसान समझा जाएगा।

पूर्ण-स्वामित्व की भूमि के अलावा सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण तथा संपत्ति के अनुमानित जीवन के अनुसार संरेखीय आधार पर लागत मॉडल के अनुसार प्रदान की जाती है।

अन्य भूमि

(पट्टेकृत भूमि सहित) -परियोजना की अवधि या पट्टा अवधि में से जो भी कम हो

भवन	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष

सम्पदा,संयंत्र या उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्तियों की मूल लागत का 5% माना जाता है, जैसे कि कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैम्प आदि जैसे परिसंपत्तियों की कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रुप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष होना निर्धारित किया गया है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम,1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित,उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति के संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

कंपनी द्वारा कतिपय संपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, वस्तु की आपूर्ति या कंपनी के अद्यतन आवश्यक होता है। संपत्ति संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इंवेलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन - कंपनी अपने समस्त परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लागत मॉडल के अनुसार वहन व्यय सहित इसे अनवरत रखने के लिए चुनी गई है, जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक के परिवर्ती तिथि, पूर्व के जीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरण में स्वीकार किया गया है।

2.9. खदान बंदी, कार्यस्थल का जीर्णोद्धार एवं डिकमीस्निंग बाध्यताएँ -

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा जोखा तथा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आंकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते है, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आंकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार

पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना/ खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

कुल खान बंद करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.10 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ -

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती है। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है:

- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा का शोध एवं विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भूभौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन ;

इसके बाद के संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान भी शामिल है।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/ अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता का निर्धारण को लंबित रखते हु ए परियोजना द्वारा परियोजना के आधार पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है तथा उसे गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में उन्हें संचित प्रावधान के कम लागत पर मापा जाता है।

एक बार प्रमाणित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की गई है। हालांकि, यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई परिसंपत्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.11 विकास व्यय -

जब प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृत निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत पहचाने जाते हैं तथा "विकास" शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है तब सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय,विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

<u>वाणिज्यिक संचालन :</u>

परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रुप से उल्लेखित शर्तों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर परियोजना वाणिज्यिक तौर पर सततता के आधार पर जब उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाती तो परियोजना/खानों को राजस्व के लिए लाया जाता है:

क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% वास्तविक उत्पादन जिस वर्ष परियोजना से होता है,उस वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से,अथवा
ख) कोयला तक पहुंचनेके दो वर्ष बाद, अथवा
ग) उस वर्ष के बाद वाली वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिस में उत्पादन का मूल्य कुल खर्चों से अधिक होता है।

उपर्युक्त में जो भी पहले घटित हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत परिसंपत्तियो के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना परिशोधित की जाती है।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियाँ -

अलग से अधिग्रहित की गई अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारम्भिक लागत पर मापा जाता है। व्यापार सन्योजन/व्यावसायिक संगठन में अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि को उनका उचित मूल्य होता है। प्रारम्भिक मान्यता का अनुसरण करते हुए अमूर्त परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के दौरान स्ट्रेट लाइन बेसिस पर परिकलित) एवं संचित क्षति,यदि कोई है,से कम लागत पर लिए जाते हैं।

विकास लागत को छोड़कर,आंतरिक रुप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नही किया जाता है। बल्कि संबंधित व्यय को लाभ हानि विवरण एवं जिस अवधि में खर्च हु आ है,उस अवधि में अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण सीमित या असीमित के रुप में किया जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान परिशोधित कर दिया जाता है तथा जब कभी यह संकेत होता है कि अमूर्त परिसंपत्ति हानिकारक हो सकती है, तो इसके हानिकरण के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित किसी अमूर्त परिसंपत्ति के लिए हानिकरण अवधि एवं हानिकरण विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा परिसंपत्ति में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित तरीकों में परिवर्तनों के लिए परिशोधन अवधि अथवा विधि में यथोचित संशोधन पर विचार किया जाता है। जिसे लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन के रुप में माना जाता है। सीमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

असीमित कार्यशील जीवन के साथ किसी अमूर्त परिसम्पत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसके हानिकरण की जांच की जाती है।

किसी अमूर्त परिसंपत्ति के अस्वीकरण से होने वाले फायदे एवं नुकसान को परिसंपत्ति के निवल निपटान लाभ एवं वर्तमान राशि के बीच के अंतर के रुप में मापा जाता है और जो लाभ व हानि विवरण में मान्य होता है।

अंवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है तथा अमूर्त संपत्ति के रुप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

सॉफ्ट्वेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त है,उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रुप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है ।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों में कमी का आंकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि,परिसंपत्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जब तक परिसंपत्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो तो वह अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई परिसंपत्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है। हानि परीक्षण हेतु कंपनी व्यक्तिगत खदान के रुप में नकदी उत्पन्न इकाई पर विचार करती है।

2.14 निवेश संपत्ति

परिसंपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में विक्रय में निवेश की गई संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेशित संपत्ति का आंकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेनदेन लागत पर भी लागू किया जाता है ।

निवेशित सम्पत्तियों को उनके अनुमानित कार्यशील जीवन पर स्ट्रेट लाइन पद्धति का प्रयोग करते हु एअवमूल्यित किया जाता है।

2.15 वित्तीय दस्तावेज:

वित्तीय दस्तावेज एक ऐसा अनुबंध है जो कि परिसंपत्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ -

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें लाभ या हानि के उचित मूल्य पर साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के विशेष रूप से अधिग्रहण के मामलों में एवं सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर पहचाना जाता है। खरीददारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात वह तिथि जिसमें कंपनी की संपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.15.2 आगामी माप

वित्तीय परिसंपतियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधनों के माध्यम से अन्य व्यापक आय। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

क. परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और
ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुएऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिस पर ईआईआर के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है। हानि के कारण हुईहानियों को लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है।

2.15.2.2 एफवीटीओसीआई में ऋण दस्तावेज:

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा किया जाता है तो "ऋण दस्तावेज" का एफवीटीओसीआई के रुप में वर्गीकृत किया जाता है:

क. व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों से पूर किया जाता है,और
ख. परिसंपत्तियों का संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई को निरुपित करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत आने वाले ऋण दस्तावेज का प्रारम्भिक तैर पर साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। उचित मूल्य के संचार को अन्य विस्तृत आय में मान्यता प्रदान की जाती है। हालांकि कंपनी ब्याज से होने वाली आय, क्षति से होने वाले नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि में स्वीकार करती है। परिसंपत्ति के अस्वीकरण पर संचित लाभ अथवा हाँइ को पहले अन्य विस्तृत आय में मान्यता दी जाती थी, उसे लाभ व हानि के लिए इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया गया है। एफओटीओसीआई ऋण दस्तावेज से अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुएब्याज आय के रुप में रिपोर्ट की गई है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल में ऋण दस्तावेज:

एफवीटीपीएल ऋण दस्तावेज के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। ऋण दस्तावेज जो परिशोधित लागत के रुप में अथवा एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड को पूरा नहीं करता है,उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त,कंपनी एक ऋण दस्तावेज को निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रुप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा कराती है। हालांकि ऐसे चुनाओं की अनुमति

सिर्फ तभी दी जाती है,जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम करता है या समाप्त करता है (जिसे लेखाकरण बेमेल कहा जाता है) कंपनी ने किसी भी ऋण दस्तावेज को एफवीटीपीएल के रुप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ट्रुमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.15.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश:

भारतीय लेखांकन मानक 101 (भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहनीय राशि परिवर्तन तिथि पर मानी हुई लागत पर मान्य होगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश का मापन लागत पर होगा।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मिलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी दस्तावेजों के लिए कंपनी उचित मूल्य में तत्पश्चात परिवर्तन को अन्य विस्तृत आय में प्रस्तुत करने के लिए चयन कर सकती है। कंपनी इस तरह के चुनाव को एक इंस्ट्रूमेंट्री-बेसिस के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक स्वीकार्यता पर किया जाता है और जो कि अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी विपत्रों को वर्गीकृत करने का निर्णय करती है तब लाभांश को छोड़कर, दस्तावेज पर समस्त उचित मूल्य में परिवर्तित को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेशों की बिक्री होने पर भी ओ.सी.आई से पीएंडएल में राशियों को नहीं लाया जाएगा। तथापि कंपनी इक्विटी के भीतर संचित लाभ और हानि को स्थांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंदर समाविष्ट इक्विटी विपत्र पीएंडएल में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य में स्वीकार किए जाते हैं।

2.15.2.6 गैर-मान्यता :

एक वित्तीय परिसंपत्ति की (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) मान्यता को मुख्य रुप से तब समाप्त कर दिया जाता है (जैसे तुलन पत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो अथवा
- कंपनी ने परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित किया है या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया और या तो क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित

कर दिया है या ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित अवश्य किया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है अथवा निकासी व्यवस्था प्रारंभ किया है,तो यह मूल्यांकन करती है कि उसने स्वामित्व के जोखिमों एवं उपलब्धियों को किस हद तक अधिकार में बनाए रखा है। कंपनी ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया,न ही परिसंपत्ति के सभी उपलब्धियों व जोखिम को बनाए रखा है और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया है। जब तक कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित संपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। कंपनी द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि -

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हु ईहानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि ऋण दस्तावेज है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बेलेन्स इत्यादि।

ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो ऋण दस्तावेज है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. प्राप्त पट्टे या नगद प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुबंध का अधिकार या उस लेनदेन के परिणामस्वरुप अन्य वित्तीय सहमति जो कि भारतीय लेखांकन मानक 11 तथा भारतीय लेखांकन मानक 18 के क्षेत्र के अंतर्गत है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया-:

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकरण दृष्टिकोण के उपयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिमों में ट्रैक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है।बल्कि यह प्रारंभिक मान्यता से प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल पर आधारित हानि भत्ता की पहचान करता है।

2.15.3 वित्तीय देयताएं –

2.15.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं माप-

कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देय,ऋण एवं बैंक ओवरड्राफ्ट सहित उधार शामिल है।

सभी वित्तीय देयताओं को शुरु में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार और देयताओं के मामले में सीधे निवेल आरोप्य लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है।

2.15.3.2 आगामी माप (अनुवर्ती)

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.15.3.3 उचित मूल्य पर लाभ या हानि के माध्यम से वित्तीय देयताएँ –

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को भी शामिल किया गया है। जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ड्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबतक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

लाभ व हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता और उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तारीख को उसी रुप में निर्दिष्ट किया जाता है एवं केवल तभी भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड को पूरा किया जाता है। एफवीटीपीएल के रुप में निर्दिष्ट देयताओं, अपने क्रेडिट जोखिमों में परिवर्तन लाने के लिए उचित मूल्य लाभ/हानि को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन लाभ/हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। हालांकि कंपनी इक्विटी के भीतर संचित लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयता को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ –

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.15.3.5 गैर-मान्यता :

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुनःप्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करता है, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी वित्तीय देनदारी की वहन राशि (या वित्तीय देनदारी का एक हिस्सा) के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है या किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित कर दिया जाता है और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनः वर्गीकरण:

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है क्योंकि यह इक्विटी दस्तावेज एवं वित्तीय देनदारियां होती है। जो वित्तीय परिसंपत्तियों इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तथा वित्तीय देनदारियां होती है, उनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण दस्तावेज होती है, उनके लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन पर संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। व्यापार मंडल में ऐसे परिवर्तनों की अपेक्षा फिर से की जाती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के लिए बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों जो कंपनी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण है, के परिणामस्वरुप ही व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करती है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए साक्ष्य होते हैं। कंपनी अपने परिचालन के लिए किसी महत्वपूर्ण है गतिविधि की या तो शुरुआत करती है अथवा समाप्त करती है, तभी व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि कंपनी की परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो वह उस पुनर्वर्गीकरण को उसकी प्रत्याशित तिथि से लागू करती है जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन से पहले की रिपोर्टिंग अवधि की ठीक बाद का पहला दिन होता है। कंपनी पिछले स्वीकृति प्राप्तियों, नुकसानों (हानिकरण लाभ व हानि शामिल करते हुए) अथवा ब्याज को पुनः निश्चित नहीं करती है

निम्नलिखित सारणी विविध पुन:वर्गीकरण एवं उनके स्पष्टीकरण की प्रवधि दर्शाता है:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य का मूल्यांकन पुनर्वर्गीकरण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के बीच के अंतर को पीएंडएल में स्वीकार किया जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि में उचित मूल्य इसकी नई सकल वहन राशि बन जाती है। इसी नई सकल वहन राशि के आधार पर ईआईआर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में स्वीकार किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाएगा। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.15.5 वित्तीय विपत्रों की ऑफसेटिंग:

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और यदि स्वीकृत राशि के ऑफसेट का कानूनी अधिकार वर्तमान में प्रवर्तनीय हैं एवं परिसंपत्तियों की वसूली तथा देनदारियां दोनों का निवल आधार निपटान साथ-साथ करने की प्रवृति हो, तो निवल राशि को समेकित तुलन-पत्र में लिखा जाता है।

2.16 उधार लागत:

जहां उधार लागत सीधे तौर पर क्वालिफाईंग परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, उन्हें छोड़कर यथावश्यक उधार लागत को खर्च किया जाता है, यानी वे परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं। इस मामले में उन्हें उस तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जिस तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए क्वालिफाईंग परिसंपत्ति तैयार होती है।

2.17 कर निर्धारण:

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और विलंबित कर के योग को दर्शाता है।

किसी खास अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि चालू कर है। लाभ एवं हानि एवं अन्य विस्तृत आय के विवरण में जैसा कि वर्णित "आयकर पूर्व लाभ" से करयोग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें उस आय के व्यय का मद शामिल हैं जो दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा कटौती योग्य होते हैं तथा इसमें वे मद शामिल हैं जो कभी करयोग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। चालू कर के लिए कंपनी की देनदारी का परिकलन कर की दरों का प्रयोग कर किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित किए गए हैं या वास्तविक रूप में अधिनियमित किए गए हैं।

सामान्य तौर पर आस्थगित कर देयताओं को सभी कर योग्य अस्थायी शेषों के लिए मान्यता दी जाती है। सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी शेष के लिए उस सीमा तक आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है कि करयोग्य लाभ मौजूद करने की संभाव्यता रहेगी जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी शेषों का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियां एवं देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है। यदि शेष सद्भाव अथवा लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देनदारियों से उत्पन्न हुआ है जो न तो करयोग्य लाभ को न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

जहां कंपनी अस्थायी शेष के विपर्यय को नियंत्रित करने में सक्षम है इसकी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी शेष को रिवर्स नही किया जाएगा,उसे छोड़ कर अन्य अनुषंगियों एवं एसोसिएट में निवेश से जुड़े करयोग्य अस्थायी शेष के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के निवेशों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी शेष से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं ब्याजों को उस सीमा तक तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे जिसके लिए अस्थायी शेषों के लाभों का उपयोग किया जा सकेगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पिछली शेष की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इसे उस सीमा तक घटा दी जाती है कि परिसंपत्तियों को संपूर्ण या इसके अंश की वसूली किए जाने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध करने रहने की संभावना अधिक न रहे। अस्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर

परिसंपत्ति का संपूर्ण या इसके अंश की वसूली की जा सके इसके लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा, इसकी संभावना बन चुकी हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को कर की दरों पर मापा जाता है तथा उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें देनदारी को निपटाया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है। ऐसा उस दर (टैक्स कानूनों) के आधार पर किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पारित किया गया हो।

आस्थगित कर देनदारियों एवं परिसंपत्तियों का मापन कर के परिणाम को दर्शाता है जिसे कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की शेष राशि की वसूली या निपटारा करने की अपेक्षा के अनुरूप तरीके से पालन किया गया है।

वर्तमान एवं आस्थगित कर को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब यह अन्य विस्तृत आय अथवा इक्विटी से सीधे तौर पर मान्य आइटम से संबंध रखते हों जिस मामले में वर्तमान और आस्थगित कर को भी क्रमश: अन्य विस्तृत कर अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो। जहां व्यवसाय सम्मिश्रण के लिए प्रारंभिक लेखाकरण से वर्तमान अथवा आस्थगित कर उत्पन्न होते हैं वहां व्यवसाय सम्मिश्रण के लिए लेखाकरण में कर के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी हितलाभ

2.18.1 अल्पकालिक लाभ

जिस अवधि में लाभ होते हैं उसी अवधि में कर्मचारियों के सभी अल्पकालिक लाभ को स्वीकार किया जाता है।

2.18.2 नियोजन के बाद एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

2.18.2.1 पारिभाषित अंशदायी योजनाएं:

भविष्य निधि एवं पेंशन के तहत कंपनी अलग सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) जिसका गठन कानून पारित कर किया गया हो और कंपनी की अन्य किसी राशि के भुगतान करने के लिए विधिक या संरचनात्मक दायित्व नहीं होगी,के लिए रोजगार पश्चात लाभ एवं परिभाषित अंशदायी योजना है। परिभाषित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों के लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ खर्चे के रूप में माना जाता है उस अवधि के जिसके दौरान कर्मचारी सेवाएं देते हैं।

2.18.2.2 पारिभाषित लाभ योजनाएं-

परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक परिभाषित लाभ योजना रोजगार के उपरांत की लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण (लाभ पर सीमा के साथ) परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के सकल दायित्व का परिकलन भरावी लाभ राशि जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में अपनी

सेवाओं के बदले अर्जित की है,उसके अनुमान से किया जाता है। लाभ को अपने वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए रियायत दी जाती है तथा उनके योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम कर दिया जाता है,यदि कोई ऐसा है तो। रिपोर्टिंग की तारीख को भारतीय प्रतिभूतियों के इस चालू बाजार मूल्य पर छूट की दर आधारित होती है। जिसकी परिपक्वता की तिथियां कंपनी के दायित्व की अवधि के लगभग होती एवं जिन मुद्रा में लाभ भुगतान की अपेक्षा है उस अवधि में वही मुद्रा प्रचलन में रहे।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक बैलेंस शीट पर अंकित होती है जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देनदारियां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनः मापन किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (परिसंपत्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत परिसंपत्तिओँ में परिवर्तन करती है। पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है।

जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजना को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.19 विदेशी मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और उसके अधिकांश कार्यों के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (आईएनआर) में है जो आर्थिक वातावरण की प्रमुख मुद्रा है जिसमें यह काम करता है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं,प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.20 स्ट्रीपिंग एक्टिविटी व्यय/समायोजन

खुली खदान में खनन के मामलों में खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया जा सके। खुली खदानों में,इस अपशिष्ट को हटाने की गतिविधि को "स्ट्रिपिंग" के रूप में जाना जाता है, कंपनी को खानों की सुरक्षा (सीएमपीडीआई द्वारा तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्ज तकनीकी रूप से अनुमानित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 लाख टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत् परिसंपत्ति एवं बैलेंस शीट की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है।

खान के ओबीआर का वार्षिक क्वांटम	विचलन की अनुमानित सीमाएं
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%

जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।

2.21 वस्तु सूची

2.21.1 कोयले का भंडार:

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना प्रथम बार प्रथम पद्धति के माध्यम से होती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।

जहां बही भंडार तथा मापित भंडार के मध्य विभिन्नता +/ - 5 % तक है, वहां कोयला/कोक के बही भंडार को लेखा में लिया जाता है,तथा ऐसे मामले जहां यह अंतर +/- 5% से अधिक है,वहां मापित भंडार पर ही विचार किया जाता है। ऐसे भंडार का मूल्यांकन शुद्ध प्राप्य मूल्य या लागत, जो भी कम हो, पर किया जाता है। कोयले को कोयला भंडार के भाग के रूप में माना जाता है।

कोयला एवं कोक चूर्ण का मूल्यांकन लागत के न्यूनतम अथवा निवल प्राप्य मूल्य में किया जाता है तथा कोयले के भंडार के रुप में माना जाता है।

कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर के वाशरी और उनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.21.2 भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें कमजोर उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/डीलिंग कैप/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.21.3 अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों ,रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान तब मान्य होते हैं जब कंपनी की पिछली घटना के परिणाम स्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त होती है और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक तुलनपत्र पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लों आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सके तो दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना दूरस्थ नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व को केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और ये मान्यता यथोचित होती है।

2.23 उपार्जित शेयर

समय के अनुरूप बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जा सकती है।

2.24 निर्णय, आंकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरुप वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, आकलन और अभिधारणा की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रतिवेदित राशियों,वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के प्रकटीकरण तथा प्रतिवेधित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय राशि को प्रभावित करती है। जटिल एवं वास्तविक अनुमान को शामिल करते हुए लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में अभिधारणा के उपयोग का प्रकटीकरण किया गया है। समय - समय पर लेखांकन आकलन बदल सकता है। वास्तविक परिणाम उन आकलनों से भिन्न भी हो सकते हैं। चालू आधार पर आकलन तथा अंतर्निहित अभिधारणाओं की समीक्षा की जाती है। लेखानुमान के संशोधनों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें आकलनों को संशोधित किया जाता है तथा यदि यह महत्वपूर्ण है,तो वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में उनके प्रभाव को प्रकट किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.24.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण -

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है,जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है।

क उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और
ख वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :

I. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना,
Ii. आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियों को परिलक्षित करना, तथा केवल कानूनी फॉर्म को छोड़कर।
Iii. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,
Iv. विवेकपूर्ण होते हैं, तथा
V. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं,और
ख. परिभाषित मानदंड और परिसंपत्तियां,देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।
कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ -साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है।

वित्तीय वक्तव्यों को लेखांकन के आधार पर तैयार किया जाता है।

2.24.1.2 सामग्रियाँ -

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हु ए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामाग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामाग्री का आंकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हु ए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

2.24.1.3. परिचालन पट्टा -

कंपनी ने पट्टाअनुबंध को अपनाया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.24.2 आंकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों कि मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आंकलन और धारणाओं के आधर पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.24.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि -

यदि किसी परिसंपत्ति का पिछला मूल्य अथवा नकद उत्पादन इकाई अपनी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है जो अपने उचित मूल्य से अधिक और निपटान लागत से कम होता है एवं इसका मूल्य प्रयोग में है,तो वह हानि का संकेत है। हानि की जांच करने के उद्देश्य के लिए कंपनी विशेष खानों को अलग उत्पादन इकाइयों के रुप में मानती है। उपयोग की गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित होती है। अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से नकदी प्राप्त किया जाता है और जो पुनर्गठन की गतिविधियों में शामिल नहीं होता है, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है,जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी। कर से संबन्धित विवरण टिप्पण 38 में दर्शाये गए हैं।

2.24.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा -

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.24.2.4. वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप -

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां -

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर केंद्रीय खनन योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड द्वारा जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाती है,

तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.24.2.6. खानों को बंद करने, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बंदी, साइट पुन;स्थापना व डिक्मीशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में रियायती दर, साइट पुन: स्थापना और डीकमिसनिंग तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी द्वारा निमलिखित आधार पर परियोजना/खानों में डीसीएफ पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

- कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यथा-निर्दिष्ट प्रत हेक्टर अनुमानित लागत।

2.25 **संक्षेपों का प्रयोग**

क.	CGU	नगद उत्पाद इकाई
ख.	DCF	रियायती नगद प्रवाह
ग.	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य
घ.	FVTPL	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य
ङ.	GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त
च.	Ind AS	भारतीय लेखांकन मानक
छ.	OCI	अन्य व्यापक आय
ज.	P&L	लाभ और हानि
झ.	PPE	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
ञ.	SPPI	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
31 मार्च,2019 के अनुसार
टिप्पणी-3 संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

	.ीहोल्ड लैंड	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/साइट पुनर्स्थापन लागत	भवन (जल आपूर्ति, रोड तथा पुलिया)	संयंत्र एवं उपकरण	पी एंड एम भंडार	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरणों	वाहन	हवाई-जहाज	अन्य खनन आधार संरचना	परिसंपत्तियां का सर्व ऑफ	अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट हैं)	कुल
वहन राशि:																
01.04.2017 के अनुसार	-	2,371.38	-	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	2,377.18
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च,2018 के अनुसार	-	2,371.38	-	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	2,377.18
01.04.2018 के अनुसार	-	2,371.38	-	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	2,377.18
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च,2019 के अनुसार	-	2,371.38	-	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	2,377.18
संचित मूल्यह्रास और हानि																
01 अप्रैल 2017 के अनुसार	-	156.37	-	-	-	-	-	-	2.15	-	-	-	-		-	158.52
वर्ष के लिए शुल्क	-	78.19	-	-	-	-	-		1.06	-	-	-	-	-	-	79.25
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	234.56	-	-	-	-	-	-	3.21	-	-	-	-	-	-	237.77
01 अप्रैल 2018 के अनुसार	-	234.56	-	-	-	-	-	-	3.21	-	-	-	-	-	-	237.77
वर्ष के लिए शुल्क	-	78.19	-	-	-	-	-	-	1.06		-		-	-	-	79.25
हानि	-	-	-	-					-		-		-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-
31 मार्च 2019 के अनुसार	-	312.75	-	-	-	-	-	-	4.27	-	-	-	-		-	317.02
																-
निवल वहन राशि																-
31 मार्च,2019 के अनुसार	-	2,058.63	-	-	-	-	-	-	1.53	-	-	-	-	-	-	2,060.16
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	2,136.82	-	-	-	-	-	-	2.59	-	-	-	-	-	-	2,139.41

टिप्पणी

1. कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के तहत अधिग्रहित अन्य भूमि शामिल है।

2- कोयला खान श्रम कल्याण संगठन और कोयला खान बचाव संगठन से ली गई संपत्तियों और देनदारियों, जिनके लिए कोई मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं है, उनके मूल्य के निर्धारण के लंबित खातों में शामिल नहीं किया गया है।.

3- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया गया। हालांकि, संपत्ति के एक अलग वर्ग के भीतर एम्बेडेड कुछ संपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने के बाद, इन संपत्तियों पर उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास किया गया है जो परिसंपत्ति के गैर-पृथक वर्ग के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार लागू होता है।

4- उपर्युक्त प्रमुखों में संपत्तियों को सक्षम करना शामिल है जैसे कि। सड़कें, रेलवे सिडिंग इत्यादि (शीर्षानुसार विभाजन किया जाए)

5. चालू वित्त वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हानि जिसकी कीमत शून्य है राशि लाभ और हानि के वक्तव्य में प्रभारित है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

31 मार्च,2019 के अनुसार

टिप्पणी 4 : कैपिटल वैप

(₹ लाख में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	रेलवे साईडिंग	**अन्य संरचना / .वकास**	**रेल कॉरिडोर विकास व्यय**	**निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर**	**अन्य**	**कुल**
सकल वहन राशि:								
01.04.2017 के अनुसार	-	-	-	437.53			-	437.53
योग	-	-	-	-			-	-
पूंजीकरण	-	-	-	-			-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	(184.86)			-	(184.86)
31.03.2018 के अनुसार	-	-	-	252.67			-	252.67
01.04.2018 के अनुसार	-	-	-	252.67			-	252.67
योग	-	-	-	-			-	-
पूंजीकरण	-	-	-	-			-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	(242.49)			-	(242.49)
31.03.2019 के अनुसार	-	-	-	10.18			-	10.18
प्रावधान और हानि								-
01.04.2017 के अनुसार	-	-	-	-			-	-
अवधि के लिए शुल्क	-	-	-	-				-
हानी	-	-	-	-			-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	-			-	-
31.03.2018 के अनुसार	-	-	-	-			-	-
01.04.2018 के अनुसार	-	-	-	-			-	-
योग	-	-	-	-			-	-
पूंजीकरण	-	-	-	-			-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	-			-	-
01.03.2019 के अनुसार	-	-	-	-			-	-
निवल वहन राशि								-
31.03.2019 के अनुसार	-	-	-	10.18			-	10.18
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	252.67			-	252.67

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च,2019 के अनुसार

<u>टिप्पणी 5 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां</u>

(₹ लाख में)

	अन्वेषण और मू. यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
01.04.2017 के अनुसार	-
परिवर्धन	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-
01.04.2018 के अनुसार	-
परिवर्धन	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	-
प्रवाधान और हानि	
01.04.2017 के अनुसार	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
पूंजीकरण / विलोपन	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-
01.04.2018 के अनुसार	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
पूंजीकरण / विलोपन	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	
निवल वहन राशि	
31मार्च 2019 के अनुसार	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

31 मार्च,2019 के अनुसार

टिप्पणी 6 : अमूर्त परिसपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	कं. यूटर सॉफ्टवेर	अमूर्त अन्वेषण परिसंपत्तियाँ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:				
01.04.2017 के अनुसार	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-
01.04.2018 के अनुसार	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	-	-	-	-
परिशोधन और हानि				
01.04.2017 के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-
01.04.2018 के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	
31 मार्च 2019 के अनुसार	-	-	-	-
निवल वहन राशि				
31 मार्च 2019 के अनुसार	-	-	-	-
31 मार्च 2018के अनुसार	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च,2019 के अनुसार

टिप्पणी - 7 : निवेश

गैर चालू (₹ लाख में)

	शेयर / इकाइय. की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	के अनुसार	
			31.03.2019	31.03.2018
शेयरों में निवेशअनुषंगी कंपनियों में शेयर	-	-	-	-
कुल (क)	-	-	-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)	-	-	-	-
कुल (ख)	-	-	-	-
सकल योग : (क+ख)	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-	-	-

चालू (₹ लाख में)

	इकायों की संख्या	एनएवी (₹)	के अनुसार	
			31.03.2019	31.03.2018
. यूचुअल फ़ंड निवेश	-	-	-	-
कुल :	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च,2019 के अनुसार

टिप्पणी- 8 :ऋण

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर-चालू		
अ. य ऋण		
- सुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- असुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानी	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-
चालू		
अन्य ऋण		
- सुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- असुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानी	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

31 मार्च,2019 के अनुसार

टिप्पणी 9 :अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर चालू		
बैक जमा	-	-
	-	-
उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति जमा	-	-
घटावः संदेहास्पद जमा के लिए भत्ता		
	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	-	-
घटावः संदेहा. पद जमा एवं प्राप्य हेतु भत्ता	-	-
कुल	**-**	**-**
चालू		
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	-
अर्जित ब्याज	-	-
दावे और अन्य प्राप्य	3.01	3.01
घटावः संदेहास्पद दावों के लिए भत्ता	-	-
कुल	3.01	3.01

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च,2019 के अनुसार

टिप्पणी 10 : अन्य गैर- चालू परिसंपातियाँ

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(i) पूंजीगत अ.ग्रम	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
(ii)पूंजीगत विकास के अलावा अन्य अग्रिम		
(क)उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति जमा	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
(ख) अन्य जमा एवं अग्रिम	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु जमा	-	-
	-	-
(ग)संबंधित पार्टियों को अग्रिम	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च,2019 के अनुसार

टिप्पणी-11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹. लाख में)

		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 (पुनःघो.षत)
(क)	राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तु एवं सेवा)	-	-
	घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
		-	-
(ख)	सांविधिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	-
	घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
		-	-
(ग)	सबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	-	-
(घ)	अन्य अग्रिम एवं जमा	257.47	257.47
	घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
		257.47	257.47
(ड़)	प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	-
	घटाव:प्रावधान	-	-
	कुल	**257.47**	**257.47**

टिप्पणी

1 डिपॉजिट-ओथर का तात्पर्य वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के जमा किए गए ₹257.47 लाख आयकर से है।

2 एडवांस- करंट हेड टैक्स एसेट्स (नेट) के अंतर्गत टिप्पणी - 11 से तुलन पत्र के प्रारंभ में वर्षो से फिक्स डिपॉज़िट पर टीडीएस के रूप में की गई कटोती 254.59 लाख रुपये को अन्य के रूप में दर्शाया गया है ।

.वत्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च,2019 के अनुसार

टिप्पणी - 12 :वस्तुसूची

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(क) कोयले का स्टॉक	-	-
विकास के तहत कोयला	-	-
कोयले का स्टॉक (निवल)	-	-
(ख) भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (लागत पर)	-	-
योग: ट्रांसिट-में-भंडार	-	-
निवल भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (लागत पर)	-	-
(ग) कार्यशाला कार्य एवं प्रैस कार्य	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी - 13 : व्यापार प्राप्य

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
वतमान		
- सुरक्षित एवं तैयार सामान		
- असुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानी	-	-
घटाव : संदिग्ध कर्ज के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च,2019 के अनुसार

टिप्पणी - 14 : नगद एवं नगद समतुल्य

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 (पुनःघो.षत)
(क) बैंक के साथ शेष		
- जमा खाते में	-	-
- चालू खाते में	-	-
(क) वहन ब्याज(सीएलटीडी खाता आदि)	5,900.30	5,584.22
(ख) गैर ब्याज वहन	0.52	0.65
- नगद क्रेडिट खाते में	-	-
(ख) भारत के बाहर बैंक शेष	-	-
(ग) चेक, ड्राफ्ट एवं मोहर	-	-
(घ) हाथों पर नकद	-	-
(ड़) भारत के बाहर नकद	-	-
(च) अन्य	-	-
कुल नकद एवं नगद समतुल्य	5900.83	5584.87
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
कुल नकद एवं नकद समकक्ष (कुल बैंक ओवरड्राफ्ट)	5,900.83	5,584.87

टिप्पणी :

1 बैंक में नकद एवं नकद समकक्ष, तीन माह व उससे अधिक के मूल परिपक्वता, स्वीप खाता एवं जमा शर्त आदि शामिल हैं ।

टिप्पणी- 15 : अन्य बैंक शेष

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 (पुनःघोषित)
बैंक के साथ शेष		
- जमा लेखा		
- जमा लेखा (विशेष उदेश्य के लिए)	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च,2019 के अनुसार

टिप्पणी - 16 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
. धिकृत		
प्रत्येक रु. 10/- के 100000000 इक्विटी शेयर	10000.00	10000.00
	10,000.00	**10,000.00**
जारी की गई , सदस्यता ली गई एवं चुकाई गई		
प्रत्येक रु. 10/- के 85100000 इक्विटी शेयर पूर्ण रूप से नकद में भुगतान किया गया	8510.00	8510.00
	8,510.00	**8,510.00**

1 प्रत्येक शेयरधारक के 5% शेयर के साथ कंपनी के शेयर

शेयरधारक का नाम	आयोजित शेयर की संख्या (प्रत्येक रु. 10 का अंकित	कुल शेयर का %
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	59570000	70
हिन्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	12765000	15
नेवेली लिग्नाइट कोर्पोरेशन लिमिटेड	12765000	15

2 अवधि के दौरान कंपनी ने न तो कोई शेयर जारी किया है या खरीदा है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

31 मार्च,2019 के अनुसार

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹.लाख में)

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	बनाए गए अर्जन (अधिशेष)	अन्य व्यापक आय	कुल इक्विटी
	पूंजी .. तदान रिजर्व	पूंजी रिजर्व*				
दिनांक 01.04.2017 तक शेष	-	-	-	(52.15)		(52.15)
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
अवधि से पहले त्रुटि	-	-	-	-	-	-
दिनांक 01.04.2017 तक पुन:वर्णित शेष	**-**	**-**	**-**	**(52.15)**	**-**	**(52.15)**
अवधि के दौरान जोड़/प्रतिधारित कमाई से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	-	-	-
निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्भुगतान (कर का निवल)	-	-	-	-	-	-
विनियोग	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय (मुख्यालय) में अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 को बकाया के अनुसार	**-**	**-**	**-**	**(52.15)**	**-**	**(52.15)**
अवधि के दौरान जोड़/प्रतिधारित कमाई से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	-	-	-
निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्भुगतान (निवल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोग	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय (मुख्यालय) में अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 को बकाया के अनुसार	**-**	**-**	**-**	**(52.15)**	**-**	**(52.15)**

*इक्विटी विवरण में परिवर्तन का अवलोकन करें।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 माच,2019 के अनुसार

टिप्पणी 18: उधारी

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर-चालू		
अवधि ऋण		
-अन्य बैंक	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
चालू		
चालू		
	-	-
मांग पर ऋण प्रतिदेय	-	-
बैंक से		
अन्य पार्टियों से	-	-
संबन्धित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 माच,2019 के अनुसार

टिप्पणी - 19 :भुगतान योग्य व्यापार

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार भुगतान	-	-
व्यापार के लिए अन्य भुगतान		
-भंडार और पुर्जों	-	-
-ऊर्जा एवं ईंधन	-	-
वेतन, मजदूरी और भत्ते के लिए देयता	26.29	-
अन्य लागत	-	-
कुल	**26.29**	-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बकाया राशि की अवधि तथा ब्याज यदि कोई हो

अवधि	**31-Mar-19**	**31-Mar-18**
15 दिनों के भीतर बकाया	-	-
16 से 30 दिनों के भीतर बकाया	-	-
31 से 45 दिनों के भीतर बकाया	-	-
45 दिनों से अधिक बकाया	-	-
कुल एमएसएमई लेनदार	**-**	**-**

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय रु 0.00 लाख (रु 0.00 लाख -31.03.2018 के अनुसार) मूलधन और ब्याज के कारण रु. 0.00 लाख (रु. 0.00 लाख 31.03.2018) विलंब से भुगतान किया गया ।पार्टी द्वारा बैंक जनादेश फॉर्म और जीएसटी फॉर्म प्रस्तुत ना करने के कारण एमएसएमई को विलंब से भुगतान किया गया ।

2.अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी विलंबित भुगतानों पर कुल ब्याज का भुगतान - रु. 00 लाख (रु. 00.00 लाख -31.03.2018)

3.अवधि / वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे भुगतान की गई मूल राशियों पर देय ब्याज, लेकिन इस अधिनियम के तहत ब्याज रहित राशि - रु ..00 लाख (रु. 00.00 लाख -31.03.2018 निरंक)

4.ब्याज उपार्जित किया गया है लेकिन रु .0.00 लाख नहीं है (वर्ष / अवधि के अंत में अर्जित ब्याज शामिल है लेकिन नियत तारीख से मासिक ब्याज पर ब्याज की गणना नहीं की जाती है)

5.कुल शेष ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया - रु .0.00 लाख (रु. 0.00 लाख -31.03.2018) (शेष सभी ब्याज राशियों को पूर्व वर्ष से उस समय तक शेष राशि का भुगतान करता है जब तक वास्तव में छोटे उद्यमों को ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।)

.वत्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च,2019 के अनुसार

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय दायिताएं

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर चालू		
प्रतिभूति जमा	-	-
बयाना राशि	-	-
अन्य	-	-
	-	-
चालू		
एमसीएल के साथ चालू खाते	8.07	5.27
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
अभुक्त लाभांश	-	-
प्रतिभूति जमा	0.70	0.70
बयाना राशि	1.01	1.01
अन्य	1.65	0.88
कुल	**11.42**	**7.86**

.वत्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च,2019 के अनुसार

टिप्पणी - 21 : प्रावधान

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
ग्रैच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
- अन्य कर्मचारी हितलाभ	-	-
स्थल पुनर्स्थापना/ खदान बंदी	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रैचुइटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
अनुग्रहपूर्वक	-	-
वेतन सबंधित निष्पादन	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
एनसीडबल्यूए-X प्रावधान	-	-
- अधिकारी वेतन संशोधन		
भूमि / साइट बहाली / खदान बंद करने की घोषणा	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

.वत्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
31 मार्च,2019 के अनुसार

टिप्पणी- 22 :अन्य गैर चालू देयताएँ

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
स्थगित आय	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी - 23 : अन्य चालू दायिताएँ

(₹.लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
पूंजीगत व्यय	-	-
सांविधिक देय	0.08	0.07
	0.08	0.07
ग्राहकों से अग्रिम / अन्य	-	-
अन्य देयताएं	-	-
कुल	**0.08**	**0.07**

टिप्पणी – *24:* ***31*** मार्च, 2019 को समाप्त नव माह के वित्तीय विवरणी के लिए अतिरिक्त टिप्पणी

1. उ.चत मूल्य मापन

क.वर्ग के अनुसार वित्तीय साधन (₹ लाख में)

	31 मार्च,2019			31 मार्च,2018		
	एफ़.वी.टी.पी.एल	एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई	परिशोधित लागत	एफ़.वी.टी.पी.एल.	एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई.	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश :						
सुरक्षित बॉन्ड	-	-	-	-	-	-
-वरीयता शेयर	-	-	-	-	-	-
-इक्विटी अवयव	-	-	-	-	-	-
-ऋण अवयव						
म्यूचुअल फ़ंड/आईसीडी	-	-	-	-	-	-
अन्य निवेश	-	-	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-	-	-
जमा एवं प्राप्य	-	-	3.01	-	-	3.01
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-
नगद एवं नगद समतुल्य	-	-	5900.83	-	-	5584.87
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएं						
उधार	-	-	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	26.29	-	-	-
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	-	-	1.71	-	-	1.71
अन्य देयताएं	-	-	9.79	-	-	6.22

ख) उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसलों एवं अनुमानों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है। (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता को दर्शाने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत् निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है।

(₹ लाख में)

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयताओं को मापा गया-आवर्ती उचित मूल्य मापन	**31 मार्च,2019**			**31 मार्च,2018**		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफ.वी.टी.पी.एल. में वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश						
म्यूचुअल फ़ंड/ आईसीडी	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ						
मद, यदि कोई हो	-	-	-	-	-	-

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा गया तथा जिसके लिए उचित मूल्य का उल्लेख	**31 मार्च,2019**			**31 मार्च,2018**		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
निवेश :	-	-	-	-	-	-
वरीयता शेयर	-	-	-	-	-	-
-इक्विटी अवयव	-	-	-	-	-	-
-ऋण अवयव						
अन्य निवेश	-	-	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-	-	-
जमा एवं प्राप्य	-	-	3.01	-	-	3.01
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-
नगद एवं नगद समतुल्य	-	-	5900.83	-	-	5584.87
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएं				-	-	-
उधार	-	-	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	26.29	-	-	-
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	-	-	1.71	-	-	1.71
अन्य देयताएं	-	-	9.79	-	-	6.22

प्रत्येक स्तर की संक्षिप्त जानकारी नीचे दिये गए सारणी में उपलब्ध है ।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल हैं। इसमें म्युचुअल फंड भी शामिल है जिसकी रिपोर्टिंग दिनांक के अनुसार अंतिम नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके गणना की गई है ।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाना अपेक्षित होता है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकड़ों के उपयोग को अधिक बढ़ाते हैं एवं जो इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर 3 में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियां, अधिमान्य शेयरों, उधार, प्रतिभूति जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ग) **उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग**

म्यूचुअल फ़ंड के निवेश के संबंध में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है, जिसमें बाजारों में उपकरणों के उद्धृत कीमत (एनएवी) भी शामिल हैं

महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष निविष्टियां का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन।

वर्तमान में कोई भी महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष निविष्टियों का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

घ) वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

➢ व्यापार प्राप्तियों की कैरिंग राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समतुल्य तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान उनके देय अल्पावधि प्रकृति में विचार किया गया है।

➢ कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा को महत्वपूर्ण वित्तीय घटक में शामिल न किया जाये। माइलस्टोन के रूप में (सुरक्षा जमा) भुगतान कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाते हैं और अनुबंध के लिए वित्तीय प्रावधान के अतिरिक्त अन्य कारणों के रख-रखाव की अपेक्षित राशि को पूर्ण करती है। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत् अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होते हैं तो प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान निर्दिष्ट प्रतिशत धारण कर कंपनी के हित की रक्षा करते हैं। तद्नुसार, सुरक्षा जमा की लेन-देन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में उसे अमूर्त लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण आकलन: वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जा रहा है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी, उपयुक्त धारणा को निर्धारित करने हेतु है एक पद्धति का चयन करती है।

ङ) जोखिम विश्लेषण एवं प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के मुख्य वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधार, व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है।

कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समतुल्य शामिल हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम तथा नगदी जोखिम को उजागर करती है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के सरकारी ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम कंपनी के नीतियों एवं जोखिम के अनुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार प्राप्तियां	विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई. दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट लिमिट एवं अन्य प्रतिभूति का विविधिकरण
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन की उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं
बाजार जोखिम – विदेशी विनियम	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति एवं INR में नामित नहीं देयताएं	नकदी प्रवाह का संवेदनशीलता पूर्वानुमान	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम – ब्याज दर	नगद एवं नगद समतुल्य, बैंक जमा तथा म्यूचुअलफंड	नकदी प्रवाह का संवेदनशील विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डी.पी.ई. के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त देयता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धान्त प्रदान करता है।

क. **क्रेडिट जोखिम**:- क्रेडिट जोखिम, नगद एवं नगदी समतुल्य, परिशोधित लागत में किए गए निवेश तथा बैंक एवं वित्तीय संसाधनों के साथ जमा तथा बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानि: कंपनी आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (सरलीकृत)द्वारा संदिग्ध / क्रेडिट खराप परिसंपातियाँ के लिए अपेक्षित जीवन जोखिम हानि प्रदान करती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि पर महत्वपूर्ण आकलन और निर्णय

ऊपर दर्शायी गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट और अपेक्षित हानि दरों के जोखिम के संबंध में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी अपने पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में भावी अनुमानों के आधार पर इन धारणाओं एवं हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करती है।

ख. तरलता जोखिम

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर समूह की नगदी स्थिति (नीचे उधार लेने की सुविधा शामिल है) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

(i) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गयी तालिका में संविदात्मक छूट रहित भुगतान के आधार पर कंपनी के वित्तीय देनदारियों का संक्षिप्त विवरण शामिल है.

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 के अनुसार				31.03.2018 के अनुसार			कुल
	एक वर्ष से कम	एक से पाँच वर्ष के बीच में	पाँच वर्ष से अधिक	कुल	एक वर्ष से कम	एक से पाँच वर्ष के बीच में	पाँच वर्ष से अधिक	
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज सहित उधार	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार देनदारियां	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय देयदताएं	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-

क. नगद प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी की मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा से उत्पन्न होती है, जिसमें ब्याज दर में बदलाव से कंपनी को नगद प्रवाह ब्याज दर जोखिम को दर्शाता है। कंपनी की पॉलिसी फिक्स्ड रेट पर अपने ज्यादातर डिपॉजिट को बनाए रखने के लिए है।

कंपनी सार्वजनिक उपक्रम विभाग (DPE) के दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए बैंक जमाओं की विविधीकरण, क्रेडिट सीमाएं और अन्य प्रतिभूति जोखिम का प्रबंधन करती है।

पूंजी प्रबंधन

सरकारी संस्था होने के कारण कंपनी वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजी गत संरचना निम्नानुसार है **(₹ लाख में)**

	31.03.2019	**31.03.2018**
इक्विटी शेयर पूंजी	85.10	85.10
वरीयता शेयर पूंजी	0.00	0.00
लंबी अवधि के ऋण	0.00	0.00

3. कर्मचारी लाभ : पहचान और मापन (भारतीय मानक लेखांकन-19)

i) भविष्य निधि**:**

नियंत्रक कंपनी कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) नामक एक अन्य ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए निश्चित योगदान का भुगतान करती है।

ii) अपरिचित मदे

क**.** आकस्मिक देयताएं

I. ऋण के रूप में कंपनी के विरुद्ध अस्वीकार दावे

(₹ लाख में)

क्र मांक .	**विवरण**	**01.04.2018 के अनुसार शुरूआत**	**वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि**	**वर्ष/अवधि के दौरान निपटाए गए दावें**			**31.03.2019 के अनुसार समाप्ती**
				क. प्रारंभिक बैलेंस से	**ख. वर्ष / अवधि के दौरान वृद्धि के अलावा**	**ग. वर्ष/अवधि के दौरान निपटाए गए कुल दावें(क+ख)**	
क	**केन्द्रीय सरकार**	-	-	-	-	-	-
1	आय कर	-	336.43	-	-	-	336.43
2	अन्य मदें क)	-	-	-	-	-	-
ख	राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-
1	क)	-	-	-	-	-	-
ग	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम: कंपनी के खिलाफ मुकदमा	-	-	-	-	-	-
घ	अन्य :-						
1	कंपनी के खिलाफ अन्य मुकदमा	-	-	-	-	-	-
2	अन्य कोई मद:-क)	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी: आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए आयकर की मांग को उठाया है और इसे सीआईटी (अपील), संबलपुर में आदेश के विरुद्द अपील के तहत जमा किया गया है।

ख. गारंटी

कंपनी ने किसी अन्य कंपनी की ओर से कोई गारंटी नहीं दी है।

ग**. साख पत्र :**

31.03.2019 के अनुसार ₹ 0.00 लाख (31.03.2018 के अनुसार ₹ 0.00 लाख) के शेष साख पत्र और ₹ 0.00 लाख (31.03.2018 के अनुसार ₹ 0.00 लाख) की जारी बैंक गारंटी शेष है।

iii) अन्य जानकारी

क**.** प्राधिकृत पूंजी : **(₹** लाख में**)**

	31.03.2019	**31.03.2018**
₹ 10.00/- प्रत्येक के 10,000,000 इक्विटि शेयर	100.00	100.00

ख**.**प्रति शेयर आय

क्रमांक	विवरण	**31.03.2019** को समाप्त नव माह के अनुसार		**31.03.2018** को समाप्त वर्ष के अनुसार	
		पीएटी	ओसीआई	पीएटी	ओसीआई
i)	इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर पश्चात निवल लाभ (₹ करोड़ में)	-	-	-	-
ii)	शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या में)	-	-	-	-
iii)	रुपये में प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय (₹ 10 प्रति शेयर पर अंकित मूल्य) ।	-	-	-	-

ग. संबंधित पार्टी की घोषणा

i) **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक**

नाम	**पद**	**से प्रभावी**
श्री ओ.पी. सिंह (डीआईएन: 7627471)	अध्यक्ष	30/09/2016
श्री अशोक मछेर (डीआईएन: 02797592)	निदेशक	22/01/2019
श्री आर. विक्रमन (डीआईएन: 07601778)	निदेशक	09/08/2018
श्री के.आर. वसुदेवन (डीआईएन: 07915732)	निदेशक	18/01/2019
श्री ए. के. सिंह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	03/07/2018
श्री एन. राजशेखर	मुख्य वित्त अधिकारी	25/08/2017
श्री एस. के.बेहेरा	कंपनी सचिव	21/01/2013

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का परिश्रमिक

(₹ .लाख में)

क्र.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान	**31.03.2019** को समाप्त नव माहा के दौरान	**31.03.2018** को समाप्त अवधि के दौरान
i)	**अल्पावधि कार्मिक लाभ** सकल वेतन चिकित्सा लाभ अतिरिक्त सुविधाएं और अन्य लाभ	 11.53 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00
ii)	**रोजगार के बाद के लाभ** भविष्य निधि एवं अन्य निधि के अंशदान उपदान और अवकाश नगदीकरण का वास्तविक मूल्यांकन	 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00
iii)	**सेवा समाप्ति के लाभ**	0.00	0.00
	कुल	**11.53**	**0.00**

31.03.2019 के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ शेष बैलेन्स

(₹ . लाख में)

क्रमांक	विवरण	**31.03.2019** के अनुसार	**31.03.2018** के अनुसार
i)	भुगतान योग्य राशि	-	-
ii)	प्राप्य राशि	-	-

अवधि के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

राशि (` लाख में)

संबंधित पार्टियों का नाम	**संबंधित पार्टियों को ऋण**	**संबंधित पार्टियों से ऋण**	**लीज रेंट**	**एमसीएल के साथ चालू खाता पर बैलेंस पर ब्याज**	**सीएमपीडीआई व्यय**	**चालू खाता शेष**
महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड			2.40	0.47		8.07

ज.चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

झ.चालू देयताएँ

वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ आकलित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

ञ.शेष की पुष्टि

नगद एवं बैंक शेष, निश्चित ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालिक देयताएँ और चालू देयताओं के लिए शेष की पुष्टि/ मिलान किया जाता है।

ट. **महत्वपूर्ण लेखांकन नीति**

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली , 2015 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी -2) का मसौदा तैयार किया गया है।

ठ. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अंतर्गत संरक्षित किये गए ऋण, निवेश एवं गारंटी का विवरण :-**

संबन्धित शीर्ष के अंतर्गत दिये गए ऋण और किये गए निवेश निम्न है ।

कंपनी का नाम	संबंध	ऋण/ निवेश	राशि (₹ लाख में)
-	-	-	-

ड. अन्य:

क) चालू वर्ष के सभी व्यय सीधे कंपनी अधिनियम 2013 की संशोधित अनुसूची के अनुसार प्रगति (नोट -4) में पूंजीगत कार्य पर लगाए गए हैं।

ख) 24 सितंबर 2014 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1993-2012 के दौरान किए गए 204 कोयले के ब्लॉक को आवंटन के प्रक्रिया का हवाला देते हुए मनमाने ढंग से आवंटन को अवैध मानकर रद्द कर दिया। तालाबीरा **II** और **III** कोल ब्लॉक, जो 204 कोयले के ब्लॉक का हिस्सा है, के आवंटन को भी रद्द कर दिया है।

ग) कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधान के अनुसार, सरकार ने 17 फरवरी 2016 को अपने पत्र के माध्यम से संवाद के रूप में इस कोयला ब्लॉक को नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पिछले आवंटियों में से एक) को आवंटित किया है। कंपनी नामांकित प्राधिकरण, एमओसी के माध्यम से भूमि अधिग्रहण, पूंजीगत कार्य प्रगति और अमूर्त संपत्तियों के लिए खर्च की गई राशि के लिए नए आवंटन से मुआवजा पाने का हकदार है। मुआवजा कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत मनोनीत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा रहा है और कंपनी द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा।

घ) पत्र संख्या 110/13/2015 /एनए, दिनांक 12.09.2016 के अनुसार पुन: एक बार नामांकित प्राधिकारी के कार्यालय ने भुगतान आयुक्त अर्थात कोयला नियंत्रक कार्यालय, कोलकाता को खान आधारित संरंचना के लागत के रूप में मुआवजा हस्तांतरित किया है। इसमें तालाबीरा - **II** और **III** कोयला खान के लिए मुआवजे की राशि रु. 15,**88,94,332** शामिल है। इसके बाद कोयला नियंत्रक कार्यालय ने 04.01.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम पर राशि हस्तांतरित कर दी है।

ङ) पत्र संख्या 110/9/2015 /एनए (भाग-**ii) ,** दिनांक 01.12..2016 के अनुसार पुन: एक बार नामांकित प्राधिकारी के कार्यालय ने भुगतान आयुक्त अर्थात कोयला नियंत्रक कार्यालय, कोलकाता को खान आधारित संरंचना के लागत के रूप में मुआवजा हस्तांतरित किया है। इसमें तालाबीरा - **II** और **III** कोयला खान के लिए मुआवजे की राशि रु. 2**,66,56,000 (**2 करोड़ छियासठ लाख छप्पन हजार) शामिल है। इसके बाद कोयला नियंत्रक कार्यालय ने 08.02.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम पर राशि हस्तांतरित कर दी है।

च) भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पिछली अवधि के आंकडों को पुन: वर्णित किया गया है तथा जब भी आवश्यक हो उसे पुनर्गठित और पुनर्व्यवस्थित भी किया जा सकता है।

छ) 31 मार्च, 2018 के अनुसार नोट 3 से 23 तुलनपत्र का एक हिस्सा है । नोट-1 और नोट-2 निगमित सूचना तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति को प्रस्तुत करता है तथा नोट-24वित्तीय विवरण के संयुक्त नोट को प्रस्तुत करता है।

हस्ताक्षर के लिए टिप्पणी 1 से 24

ह/-	**ह/-**	**ह/-**
(एस. के. बेहेरा)	**(एन. राजसेखर)**	**(ए. के. सिंह)**
कंपनी सचिव	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

ह/-
के . आर. वसुदेवन
निदेशक
डीआईएन:07915732

ह/-
ओ.पी. सिंह
अध्यक्ष
डीआईएन**: 07627471**

हमारे संलग्नित प्रतिवेदन के अनुसार
उनके तरफ से
मेसर्स एसएबीडी एवं सहयोगियाँ
सनदी लेखाकार
ह/-
(सीए. बी. के. गोएल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 505314
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 020830एन

दिनांक:25.04.2019
स्थान: सम्बलपुर

नकद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष पद्धति)
31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए

(₹.लाख में)

		.दनांक 31.03.2019 को समाप्त अवधि के लिए	दिनांक 31.03.2018 को समाप्त अवधि के लिए
संचालित गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कर से पहले कुल व्यापक आय		-	-
समायोजन:			
दीर्घावधि उधार पर विनिमय अस्थिरता हानि		-	-
अचल परीसंपत्तियों की हानि/ मूल्यह्रास		-	-
बैंक जमा से प्राप्त ब्याज		-	-
वित्तीय गतिविधि से संबन्धित वित्तीय लागत		-	-
छूट की अनदेखी		-	-
संपातियों की बिक्री पर लाभ/हानि		-	-
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव		-	-
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		-	-
निवेश से ब्याज/ लाभांश		-	-
किए गए प्रावधान और बट्टा खाता		-	-
चालू/गैर-चालू परिसंपतियों और देनदरियों से पूर्व परिचालन लाभ ।		**-**	**-**
समायोजन के लिए:			
व्यापार स्वीकार्य		-	-
वस्तुसूची		-	-
गैर चालू ऋण, अग्रिम, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, अन्य परिसंपत्तियां			
चालू ऋण, अग्रिम, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, अन्य परिसंपत्तियां		(35.64)	(28.69)
चालू / गैर चालू प्रावधान, अन्य वित्तीय देयताएं और अन्य देयताएं		109.11	(46.70)
प्रचालन से नगद प्राप्ति		**73.47**	**(75.39)**
आय कर का भुगतान / वापसी		-	-
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगद प्रवाह	**(क)**	**73.47**	**(75.39)**
निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह			
सीडब्ल्यूआईपी में बदलाव / स्थायी परिसंपत्ति की खरीद		242.49	184.86
स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ / हानि		-	-
निवेश में बदलाव		-	-
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज		-	-
निवेश से ब्याज/लाभांश		-	-
निवेश गतिविधियों से निवल नगद	**(ख)**	**242.49**	**184.86**

नगद प्रवाह विवरण जारी.....

नकद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष पद्धति)
31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए

(₹.लाख में)

		.दनांक 31.03.2019 को समाप्त अवधि के लिए	दिनांक 31.03.2018 को समाप्त अवधि के लिए
वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह			
उधार में बदलाव		-	-
ऋण का पुनर्भुगतान		-	-
प्राथमिक शेयर पूंजी की छूट			
वित्त गतिविधियों से संबंधित ब्याज और वित्त लागत		-	-
इक्विटी शेयर पर लाभांश		-	-
इक्विटी शेयर लाभांश पर कर		-	-
इक्विटी शेयर कैपिटल का बायबैक		-	-
इक्विटी शेयर कैपिटल के बाय बैक पर टैक्स		-	-
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगत	**(C)**	**-**	**-**
नकद एवं बैंक शेष में शुद्ध बढ़ोत्तरी /कटौती (क +ख + ग)		**315.96**	**109.47**
नकद एवं बैंक शेष (प्रारम्भिक शेष)		**5,584.87**	**5,475.40**
नकद एवं बैंक शेष (अंतिम शेष)		**5,900.83**	**5,584.87**

(कोष्ठक में दिए गए सभी आंकड़े बहिर्वाह को दर्शाते हैं)

टिप्पणी :
1.उपर्युक्त विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किए गए हैं।
2. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए गत वर्ष के सभी आकांडों का पुन: वर्गीकरण किया गया है।
3. 2017-18 के सम्पूर्ण वर्ष के लिए दिनांक 31.03.-2018 तक गत वर्ष के आंकड़ों की लेखा परीक्षा की गई।

ह/-
(एस. के. बेहेरा)
कंपनी सचिव

ह/-
(एन. राजशेखर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एस. एम. झा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
के. आर. वसुदेवन
निदेशक
डीआईएन: 07915732

ह/-
ओ.पी. सिंह
अध्यक्ष
डीआईएन: 07627471

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स एसएबीडी एंड एसोसिएट्स की ओर से
सनदी लेखाकर

ह/-
(सीए बी. के. गोयल)
साझेदार
सदस्यता संख्या . 505314)
फर्म पंजीकरण संख्या - 020830एन

दिनांक:25.04.2019
स्थान: सम्बलपुर